"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2024 — आषाढ़ 4, शक 1946

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 जून 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–1/2018/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 585/पी.यू./एस.एण्ड ओ./2008/20035, दिनांक 16–04–2024 द्वारा डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 128 से 136, 138, 139 एवं संशोधित अध्यादेश क्रमांक 93 एवं 119 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 128

प्रदर्शन और ललित कला में स्नातक कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, कला संकाय के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तद्नुसार प्रदर्शन और ललित कला में 3 या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पर लागू होगा।

"प्रदर्शन और ललित कला, कला के दृश्य कार्यों का अध्ययन और निर्माण है। यह नृत्य, संगीत, ललित पेंटिंग, फोटोग्राफी, वास्तुकला, मिट्टी के बर्तनों, वैचारिक कला, मूर्तिकला, संगीत, प्रिंटमेकिंग, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, कविता और साहित्य और नाटक के रूप में हो सकेगा।

प्रदर्शन और ललित कला में स्नातक की उपाधि को बैचलर ऑफ फाईन आर्ट्स (संक्षिप्त में बीएफए), बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स (संक्षिप्त में बीवीए), बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (संक्षिप्त में बीपीए), बीए (ललित कला), बीए (दृश्य कला), बीए (प्रदर्शन कला) के रूप में चुने गए विषय के अनुसार संदर्भित किया जा सकेगा, जो कि एक स्नातक अथवा प्रदर्शन और ललित कला में तीन/चार वर्ष की स्नातक डिग्री है। यह डिग्री, भारत में प्रदर्शन और ललित कला वृति के अभ्यास के लिए एक अर्हक उपाधि है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता :

2.1 किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से किसी भी विषय में वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

या

10वीं के बाद कम से कम 2 साल की अवधि का संबंधित प्रदर्शन और ललित कला स्ट्रीम में समकक्ष डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

और

2.2 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी अथवा विद्यार्थियों को सीधे उनके प्रवेश की सूचना दी जाएगी।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचनाः**

डिग्री कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातक डिग्री, 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और वृतिक क्षेत्रों सहित किसी संकाय या क्षेत्र में 3 माह/ 6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा, या 2 वर्ष के अध्ययन के बाद एक एडवांस डिप्लोमा, या 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 4–वर्षीय बहु–विषयक स्नातक पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

4–वर्षीय पाठ्यक्रम, 'सम्मान के साथ' या 'अनुसंधान (शोध) के साथ' डिग्री प्राप्त करने हेतु अग्रणी भी हो सकेगा, यदि विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अध्ययन के उनके प्रमुख क्षेत्रों में कठिन अनुसंधान (शोध) योजना पूर्ण करता है।

8. स्थानांतरित उम्मीदवार :

किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, प्रदर्शन और ललित कला में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. शिक्षण सत्र :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, प्रथम, तृतीय और पंचम (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय, चतुर्थ और छष्टम (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातक कार्यक्रम, तद्नुसार अधिकतम 5 वर्ष/6 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क– प्रत्येक विद्यार्थी को, अवकाश के दौरान, अध्ययन मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना अनिवार्य है।

9.7 शिक्षण की योजना– इस स्नातक कार्यक्रम के लिए डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ–साथ विभिन्न सेमेस्टरों के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का पालन किया जाएगा।

9.8 उपस्थिति – किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.9 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के कला संकाय की शैक्षणिक/पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार दो वर्ष से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातक कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना

कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रकिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।)

में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनःउपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन	– 20 प्रतिशत
(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी)	– 10 प्रतिशत
(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक))	– 20 प्रतिशत
(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा)	– 50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति	50 प्रतिशत
(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा	50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम– सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से,

उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां एनसी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, एसजी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी चार वर्षों के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{सीजीपीए}^{\text{अभिप्राप्त}} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12. अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर, किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी तीन/चार वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, प्रदर्शन एवं ललित कला में स्नातक कार्यक्रम के लिए छठवें/आठवें (अंतिम) सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14 निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 129

प्रदर्शन और ललित कला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, कला संकाय के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तद्नुसार प्रदर्शन और ललित कला में 1 या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम पर लागू होगा।

'प्रदर्शन और ललित कला, कला के दृश्य कार्यों का अध्ययन और निर्माण है। यह नृत्य, संगीत, ललित पेंटिंग, फोटोग्राफी, वास्तुकला, मिट्टी के बर्तनों, वैचारिक कला, मूर्तिकला, संगीत, प्रिंटमेकिंग, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, कविता और साहित्य और नाटक के रूप में हो सकेगा।

प्रदर्शन और ललित कला में स्नातकोत्तर की उपाधि को मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स (संक्षिप्त में एमएफए), मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स (संक्षिप्त में एमवीए), मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (संक्षिप्त में एमपीए), एमए (ललित कला), एमए (दृश्य कला), एमए (प्रदर्शन कला) के रूप में चुने गए विषय के अनुसार संदर्भित किया जा सकेगा, जो कि एक स्नातकोत्तर है अथवा प्रदर्शन और ललित कला में दो वर्ष की स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री है। यह डिग्री, भारत में प्रदर्शन और ललित कला वृति के अभ्यास के लिए एक अर्हक उपाधि है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता :

2.1 दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री में प्रवेश के लिए, संबंधित और प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक प्रवेश के लिए पात्र होंगे या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 अनुसंधान या ऑनर्स के साथ 4–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्र 1–वर्षीय मास्टर कार्यक्रम (द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश) में प्रवेश के लिए पात्र होंगे या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.3 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी अथवा विद्यार्थियों को सीधे उनके प्रवेश की सूचना दी जाएगी।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 40 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। विषय को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना**: स्नातकोत्तर डिग्री, तद्नुसार 1 या 2 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और वृतिक क्षेत्रों सहित किसी संकाय या क्षेत्र में 3 माह/6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातकोत्तर की डिग्री का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 4–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए, 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकेगा।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, प्रदर्शन और ललित कला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, प्रथम और तृतीय (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय और चतुर्थ (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातकोत्तर कार्यक्रम, अधिकतम 4 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क– प्रत्येक विद्यार्थी को, अवकाश के दौरान, अध्ययन मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना अनिवार्य है।

9.7 शिक्षण की योजना– इस स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.8 उपस्थिति– किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी.

व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.9 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के कला संकाय की शैक्षणिक/पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार एक वर्ष से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातक कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल

उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रकिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए),** 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड ''डी'' है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड ''डी'' अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल	– 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति	50 प्रतिशत
(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा	50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम– सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां $\text{एनसी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, $\text{एसजी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी चार वर्षों के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम दिए गए में ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{अभिप्राप्त सीजीपीए} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, प्रदर्शन और ललित कला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14 निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 130

अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम (डीएफएसएम)

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, इस विश्वविद्यालय द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के तहत प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में 6 महीने के प्रमाणपत्र या 1 वर्ष के स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम पर लागू होगा।

"अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जो किसी भी आग लगने की घटना के दौरान जोखिम, प्रबंधन और उपायों के अध्ययन से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम, सुरक्षा पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक, सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा सलाहकार, फायरमैन इत्यादि जैसे करियर प्रदान करता है।"

अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, भारत में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन पेशे के अभ्यास के लिए एक अर्हक डिप्लोमा है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता –

2.1 इस विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, पात्रता मानदंड यह है कि छात्र को विज्ञान स्ट्रीम में 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से कोई अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 जिस उम्मीदवार ने 10+2 के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से फायर सेफ्टी में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वह यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधे सेमेस्टर II (मल्टीपल एंट्री और एग्जिट) में प्रवेश लेने के लिए पात्र है।

2.3 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो।

एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी अथवा विद्यार्थियों को सीधे उनके प्रवेश की सूचना दी जाएगी।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना** : डिप्लोमा कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातक डिप्लोमा, 1 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, 3 माह/6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा का प्रमाणपत्र शामिल है। तथापि, यह 1–वर्षीय पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण सत्र जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातक कार्यक्रम, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली– शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 शिक्षण की योजना– इस स्नातक कार्यक्रम के लिए डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.7 उपस्थिति– किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.8 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की शैक्षणिक /पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार 6 माह से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातक

डिप्लोमा कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक पाठ्यक्रम, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति 50 प्रतिशत

(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

.....

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम– सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}} \text{पी}_{\text{आई}}}{\sum^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

आई=एल

जहाँ सी$_{आई}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, पी$_{आई}$, आई वें विषय में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,............एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां एनसी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, एसजी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.........एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से/प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी दो सेमेस्टर के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी

6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{अभिप्राप्त सीजीपीए} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो सेमेस्टर के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14. निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवार/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 131

विदेशी भाषा में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, कला, भाषा विज्ञान विभाग के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तद्नुसार **विदेशी भाषा** में 6 माह के प्रमाणपत्र या 1 वर्ष के स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम पर लागू होगा।

''**विदेशी भाषा (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, मंदारिन आदि) में डिप्लोमा**, विद्यार्थियों के साथ–साथ व्यावसायियों द्वारा भी किया जा सकता है, जो भाषा में प्रवाह प्राप्त करने और किसी भाषा को सिखाने का विकल्प चुनते हैं, जो उनके उच्च अध्ययन में अग्रतर रूप से मदद करेगा। **विदेशी भाषा में डिप्लोमा**, या तो विभिन्न महाविद्यालयों के माध्यम से या इसके लिए विशेषीकृत व्यक्तिगत संस्थानों के माध्यम से किया जा सकता है। **विदेशी भाषा में डिप्लोमा**, मुख्य रूप से पढ़ने, सुनने, लिखने और बोलने की दक्षता को केंद्रित करता है। **विदेशी भाषा में डिप्लोमा** की परीक्षा आमतौर पर सेमेस्टर के आधार पर या वर्ष के अनुसार आयोजित की जाती है। विदेशी भाषा सीखने से एक शिक्षक, अनुवादक के रूप में नौकरी पाने, आतिथ्य क्षेत्र में कार्य करने, मीडिया, शोध विश्लेषक की भूमिका निभाने, जर्मनी और भारत में इंजीनियरिंग की नौकरी और कई अन्य रूप में करियर विकल्पों का विस्तार होता है।''

विदेशी भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, भारत में विदेशी भाषा पेशे के अभ्यास के लिए एक अर्हक डिप्लोमा है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता –

2.1 इस विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, पात्रता मानदंड यह है कि छात्र को 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 जिस उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 के बाद जर्मन में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वह यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधे सेमेस्टर II (बहु प्रवेश और निकास) में प्रवेश लेने के लिए पात्र है।

2.3 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी अथवा विद्यार्थियों को सीधे उनके प्रवेश की सूचना दी जाएगी।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम, संबंधित विदेशी भाषा हो सकेगा। विषय को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना** : डिप्लोमा कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातक डिप्लोमा, 1 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, 3 माह/6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 1–वर्षीय पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार विदेशी भाषा में स्नातक डिप्लोमा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि संबंधित विभाग के अध्ययन मंडल की मंजूरी दी गई हो।

9. शिक्षण सत्र :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, जुलाई–जून शिक्षण सत्र के लिये, प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी। शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, प्रत्येक वर्ष जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातक कार्यक्रम, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 शिक्षण की योजना– इस स्नातक पाठ्यक्रम के लिए डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.7 उपस्थिति – किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी.

व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.8 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के कला संकाय की शैक्षणिक/पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार 6 माह से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातक कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोज़ना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल

उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रकिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति 50 प्रतिशत

(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक विषय (प्रैक्टिकल सब्जेक्ट) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम– सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8

B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें विषय में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां $\text{एनसी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, $\text{एसजी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कोर्स में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से

अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से/प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी दो सेमेस्टर के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{सीजीपीए}^{\text{अभिप्राप्त}} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूची:

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, विदेशी भाषा में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14 निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 132

अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, तद्नुसार भौतिकी/रसायन/गणित विभाग के विज्ञान संकाय के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अनुप्रयुक्त विज्ञान (भौतिकी/रसायन/गणित) में 2 वर्ष या 1 वर्ष के स्नातकोत्तर कार्यक्रम पर लागू होगा।

*"**अनुप्रयुक्त भौतिकी**, वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए भौतिकी का अनुप्रयोग है। इसे आमतौर पर भौतिकी और इंजीनियरिंग के बीच एक सेतु या संबंध माना जाता है। "अनुप्रयुक्त" को कारकों के सूक्ष्म संयोजन से "शुद्धता" से अलग किया जाता है, जैसे कि शोधकर्ताओं की प्रेरणा और दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी या विज्ञान के संबंध की प्रकृति, जो कि कार्य से प्रभावित हो सकती है। अनुप्रयुक्त भौतिकी, भौतिक विज्ञानों के मौलिक सत्य और बुनियादी अवधारणाओं में निहित है, किन्तु व्यावहारिक उपकरणों और प्रणालियों में वैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भौतिकी के अनुप्रयोग से संबंधित है। "*

*"**अनुप्रयुक्त रसायन**, सामग्री के बुनियादी रासायनिक गुणों को समझने और अच्छी तरह से नियंत्रित कार्यों के साथ नई सामग्री के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र है। अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, न केवल अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकियां प्रदान करता है बल्कि रसायन विज्ञान के एक मूलभूत पहलू को भी शामिल करता है। वर्तमान में, जैसा कि मानव समाज अधिक जटिल है, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान के शोध क्षेत्र, एक व्यापक श्रेणी में विस्तार कर रहे हैं। कतिपय तरह से, यह हमारे समाज को, प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट किए बिना, ऊर्जा–बचत विधियों का उपयोग करके, स्वच्छ और सौम्य सामग्री बनाने के लिए चिर स्थायी बनाएगा, और लाईलाज बीमारियों को, नई दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों द्वारा रोका जाएगा, जिन्हें हम विकसित कर सकते हैं। हमारे अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान विभाग में रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, आदि शामिल हैं।*

"अनुप्रयुक्त गणित, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जैसे भौतिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जीव विज्ञान, वित्त, व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और उद्योग द्वारा, गणितीय विधियों का अनुप्रयोग है। इस प्रकार, अनुप्रयुक्त गणित, गणितीय विज्ञान और विशिष्ट ज्ञान का एक संयोजन है। शब्द "अनुप्रयुक्त गणित" उस पेशेवर विशेषता का भी वर्णन करता है, जिसमें गणितज्ञ, गणितीय मॉडल तैयार करके और उनका अध्ययन करके व्यावहारिक समस्याओं पर गणितीय कार्य करते हैं। अतीत में, व्यावहारिक अनुप्रयोगों ने गणितीय सिद्धांतों के विकास को प्रेरित किया है, जो तब शुद्ध गणित में अध्ययन का विषय बन गया, जहां अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन स्वयं के लिए किया जाता है। इस प्रकार, अनुप्रयुक्त गणित की गतिविधि, शुद्ध गणित में शोध के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।"

अनुप्रयुक्त विज्ञान (भौतिकी/रसायन/गणित) में स्नातकोत्तर डिग्री को एम.एससी. (अनुप्रयुक्त भौतिकी)/एम.एससी. (अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान)/एम.एससी (अनुप्रयुक्त गणित) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जो कि स्नातकोत्तर है या अनुप्रयुक्त विज्ञान में दो वर्ष की स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर डिग्री) है। यह डिग्री, भारत में अनुप्रयुक्त विज्ञान (भौतिकी/रसायन/गणित) पेशे के अभ्यास के लिए एक अर्हक उपाधि है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियमों और विनियमों में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता : 2.1 दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री में प्रवेश के लिए प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक बीएससी (पीसीएम), बीई (कोई भी स्ट्रीम) या सभी सेमेस्टर में एक प्रासंगिक विषय के साथ कोई अन्य स्नातक कार्यक्रम या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 अनुसंधान के साथ या संबंधित क्षेत्र में ऑनर्स के साथ 4–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्र 1–वर्षीय मास्टर कार्यक्रम (द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश) या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.3 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल /कॉलेज /विश्वविद्यालय /जिला /राज्य, राष्ट्रीय

/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी/या छात्रों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 40 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना**: स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम, तद्नुसार 1 या 2 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और वृतिक क्षेत्रों सहित किसी संकाय या क्षेत्र में 3 माह/6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 4–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए, 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकेगा।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, प्रथम और तृतीय (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय और चतुर्थ (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातकोत्तर कार्यक्रम, अधिकतम 4 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली– प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को ईकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क– प्रत्येक विद्यार्थी को, अवकाश के दौरान, अध्ययन मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना अनिवार्य है।

9.7 शिक्षण की योजना– इस स्नातक कार्यक्रम के लिए डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ–साथ विभिन्न सेमेस्टरों के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का पालन किया जाएगा।

9.8 उपस्थिति – किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी.

व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.9 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय की शैक्षणिक/पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार एक वर्ष से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल

उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रकिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल	– 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति	50 प्रतिशत
(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा	50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0

W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां $\text{एनसी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, $\text{एसजी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस पाठ्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी चार वर्षों के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{सीजीपीए}^{\text{अभिप्राप्त}} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए चतुर्थ (अंतिम) सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही

विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14.0 निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 133

भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, कला संकाय, विभाग – सामाजिक विज्ञान (भूगोल) के तहत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी में 6 माह के प्रमाणपत्र या 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम पर लागू होगा।

"भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एक वर्ष (2 सेमेस्टर) का पाठ्यक्रम *होगा। यह पाठ्यक्रम, उन लोगों को अपील करेगा, जिनसे शोध दृष्टिकोण की समझ और कौशल की अपेक्षा है, और महत्वपूर्ण रूप से भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें अपने अध्ययन या पेशेवर जीवन में प्रसारित करने की क्षमता है और यह, किसी भी शोध क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि यह, निकट भविष्य में समाज हित और शोध के लिए एक मुख्य उपकरण होगा, यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी की मदद करेगा, क्योंकि हम, उनके आगामी पेशेवर और शैक्षणिक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम, एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा, जो इस महंगे विषय को सभी लोगों और विद्यार्थियों के लिए पॉकेट फ्रेंडली तरीके से लाता है, इसलिए, इस दृष्टिकोण से हम, एक सतत दृष्टिकोण के साथ शिक्षा बंधुता की सेवा करने में भी सक्षम हैं।"*

भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, भारत में भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी के पेशे के अभ्यास के लिए एक अर्हक डिप्लोमा है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता –

2.1 इस विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, पात्रता मानदंड यह है कि छात्र के पास भूगोल/सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय से अन्य योग्यता होनी चाहिये या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 जिस उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक के बाद उसी विषय में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स किया है। वह यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधे सेमेस्टर II (बहु प्रवेश और निकास) में प्रवेश लेने के लिए पात्र है।

2.3 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची, विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी/या छात्रों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/संस्कृत/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना** : डिप्लोमा कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 1 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, 3 माह/ 6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 1–वर्षीय पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. शिक्षण सत्र :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, जुलाई–जून शिक्षण सत्र के लिये, प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातकोत्तर कार्यक्रम, तद्नुसार अधिकतम 3 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 शिक्षण की योजना– इस स्नातक कार्यक्रम के लिए डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.7 उपस्थिति– उपस्थिति – किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी.

व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.8 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के कला संकाय की शैक्षणिक /पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार 6 माह वर्ष से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल

उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड ''डी'' है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड ''डी'' अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति 50 प्रतिशत

(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8

B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}} \text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां $\text{एनसी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, $\text{एसजी}_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी दो सेमेस्टर के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.6 किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{सीजीपीए}^{\text{अभिप्राप्त}} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14 निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 134

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के अनुमोदित संकायों और संबंधित विभाग के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तद्नुसार 1 वर्ष या दो वर्ष स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम पर लागू होगा। विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित किया जाने वाला नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम भी, इन अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे।

यह अध्यादेश इस अध्यादेश की प्रभावी तिथि से पिछले किसी भी संबंधित अध्यादेशों का अनुपूरक होगा न कि उन अध्यादेशों को निष्प्रभावी करेगा।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता –

2.1 इस विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, पात्रता मानदंड यह है कि छात्र को संबंधित स्ट्रीम/डिसीप्लीन/कार्यक्रम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके पास संबंधित स्ट्रीम/डिसीप्लीन/कार्यक्रम में कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 जिस उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक के बाद उसी कोर्स में 6 महीने के सर्टिफिकेट कार्यक्रम किया है, वह यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधे सेमेस्टर II (बहु प्रवेश और निकास) में प्रवेश लेने के लिए पात्र है।

2.3 जिस उम्मीदवार ने स्नातक के बाद उसी विषय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा का पहला वर्ष पूरा कर लिया है, वह यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार सीधे दूसरे वर्ष (बहु प्रवेश और निकास) में प्रवेश लेने के लिए पात्र है।

2.4 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की

प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी/या छात्रों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना** : डिप्लोमा कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 1/2 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, 3 माह/ 6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1/2 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 1/2–वर्षीय कार्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, जुलाई–जून शिक्षण सत्र के लिये, प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातक कार्यक्रम, अधिकतम 3/4 वर्ष की अवधि का होगा।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 शिक्षण की योजना– इस स्नातक कार्यक्रम के लिए डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.7 उपस्थिति – किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.8 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय की शैक्षणिक /पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार 6 माह से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो

बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातक कार्यक्रम का विद्यार्थी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा , विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रकिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति 50 प्रतिशत

(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

एन

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{ज}}\text{एनसी}_{\text{ज}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{ज}}}$$

जहां $\text{एनसी}_{\text{ज}}$, *ज* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, $\text{एसजी}_{\text{ज}}$, *ज* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *ज* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी दो सेमेस्टर के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{सीजीपीए}^{\text{अभिप्राप्त}} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या

वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो सेमेस्टर के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14. निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 135

पोषण और आहार विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के तहत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पोषण और आहार विज्ञान में तद्नुसार 3 या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पर लागू होगा।

'पोषण और आहार विज्ञान, चिकित्सा का एक उप–अनुशासन है, जो भोजन के सभी पहलुओं और मानव शरीर पर इसके प्रभावों पर केंद्रित है। पाठ्यक्रम, खाद्य प्रबंधन के अध्ययन और स्वस्थ भोजन के माध्यम से स्वास्थ्य को सवंर्धित करने पर केंद्रित है। इसमें अनिवार्य रूप से आहार उपचारों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और समग्र कल्याण को बढ़ाने के तरीकों में एक उन्नत शिक्षा शामिल है। पाठ्यक्रम, पोषण संबंधी मामलों और भोजन की आदतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह सीखने को विस्तृत करता है कि पोषण संबंधी आदतें, मानव स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकती हैं। यह पाठ्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए है, जो एक सुव्यवस्थित जीवन शैली और स्वस्थ खान–पान की आदतों का सुझाव देकर, मानव स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए सुधार करने में अभिरुचि रखते हैं। पाठ्यक्रम, उन छात्रों को अभिरूचिगत करेगा, जो स्वस्थ समुदाय और पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं। विद्यार्थी, जो स्वस्थ जीवन से प्रेरित करियर की तलाश कर रहे हैं और अस्वास्थ्यकर खान–पान की आदतों के कारणों को ढूढ़ना पसंद करते हैं और उन्हें आसव बनाने और सुधारने के लिए शोध करने के तरीके तलाशते हैं।''

पोषण और आहार विज्ञान को पोषण और आहार विज्ञान में विज्ञान स्नातक संक्षिप्त रूप में बी.एससी. (पोषण और आहार विज्ञान) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जो कि स्नातक डिग्री है अथवा पोषण और आहार विज्ञान में तीन/चार साल की स्नातक डिग्री है। यह डिग्री, भारत में पोषण और आहार विशेषज्ञ के अभ्यास के लिये एक अर्हक उपाधि है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता –

2.1 किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से विज्ञान कोर्स के साथ एक कोर्स जीव विज्ञान में, प्रासंगिक व्यावसायिक अनुशासन में वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

या

10वीं के बाद कम से कम 2 साल की अवधि का संबंधित पोषण और आहार विज्ञान स्ट्रीम में समकक्ष डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 **मल्टीपल एंट्री :** 10+2 के बाद संबंधित क्षेत्र में एक वर्षीय डिप्लोमा वाले छात्र सीधे दूसरे वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश लेने के पात्र हैं।

2.3 जिन छात्रों ने पहले पोषण और आहार विज्ञान में उन्नत डिप्लोमा (10+2) के बाद दो वर्षीय (डिप्लोमा) पूरा कर लिया है, वे बी. एस. सी. (पोषण और डायटेटिक्स) के तीसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

2.4 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी/या छात्रों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना:** डिग्री कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातक डिग्री, 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी,

जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और वृतिक क्षेत्रों सहित किसी संकाय या क्षेत्र में 3 माह/ 6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा, या 2 वर्ष के अध्ययन के बाद एडवांस डिप्लोमा, या 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 4–वर्षीय बहु–विषयक स्नातक पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

4–वर्षीय पाठ्यक्रम, 'सम्मान के साथ' या 'अनुसंधान (शोध) के साथ' डिग्री प्राप्त करने हेतु अग्रणी भी हो सकेगा, यदि विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अध्ययन के उनके प्रमुख क्षेत्रों में कठिन अनुसंधान (शोध) योजना पूर्ण करता है।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, पोषण और आहार विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, प्रथम, तृतीय और पंचम (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी और द्वितीय, चतुर्थ और छष्टम (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातक कार्यक्रम, तद्नुसार अधिकतम 5वर्ष/6 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली– प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को ईकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्नपत्रों की सेटिंग अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड/प्रोजेक्ट वर्क– प्रत्येक विद्यार्थी को, अवकाश के दौरान अध्ययन मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड/प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना अनिवार्य है।

9.7 शिक्षण की योजना– इस स्नातक कार्यक्रम के लिए डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.8 उपस्थिति– किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं में, परियोजना और फिल्ड कार्य न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 5 प्रतिशत तक की कमी को, डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.9 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय की शैक्षणिक /पाठ्यक्रम एवं सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों में, लगातार दो वर्ष से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातक पाठ्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या पूरक परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार

पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 माह से अनधिक अवधि के अंतराल पर या कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई

उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए),** 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए।

प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन	– 20 प्रतिशत
(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी)	– 10 प्रतिशत
(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक))	– 20 प्रतिशत
(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा)	– 50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति	50 प्रतिशत
(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा	50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक विषय (प्रैक्टिकल सब्जेक्ट) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}} \text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ सी$_{आई}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, पी$_{आई}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां एनसी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, एसजी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी चार वर्षों के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी

5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{सीजीपीए}^{\text{अभिप्राप्त}} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूची:

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी तीन/चार वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, पोषण और आहार विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम के लिए छठवें/आठवें (अंतिम) सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14. निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 136

ग्रामीण प्रौद्योगिकी में स्नातक कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, विज्ञान संकाय, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तद्नुसार ग्रामीण प्रौद्योगिकी में 3 या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पर लागू होगा।

''यह कार्यक्रम, उन सभी के लिये प्राथमिक तौर पर तात्पर्यित है, जो उच्च शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं तथा ग्रामीण विकास, कृषि, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने की अभिरूचि रखते हैं। यह कार्यक्रम उनके लिये भी तात्पर्यित है, जो ग्रामीण विकास/कृषि के क्षेत्र में, या तो शासकीय या अशासकीय क्षेत्र में, पहले से ही कार्यरत हैं ।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि को बैचलर ऑफ साइंस इन रूरल टेक्नालॉजी (संक्षिप्त में बी.एससी. (ग्रामीण प्रौद्योगिकी)) के रूप में संदर्भित किया जा सकेगा, जो कि एक स्नातक है अथवा ग्रामीण प्रौद्योगिकी में तीन/चार वर्ष की स्नातक डिग्री है। यह डिग्री, भारत में ग्रामीण प्रौद्योगिकी वृति के अभ्यास के लिए एक अर्हक उपाधि है।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता :

2.1 विज्ञान (पीसीबी, पीसीएम), कृषि, व्यावसायिक अनुशासन में किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2) या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

या

10वीं के बाद कम से कम 2 साल की अवधि का संबंधित ग्रामीण प्रौद्योगिकी/कृषि स्ट्रीम में समकक्ष डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 मल्टीपल इंट्री : 10+2 के बाद संबंधित क्षेत्र में एक वर्षीय डिप्लोमा वाले छात्र सीधे दूसरे वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश लेने के पात्र हैं।

2.3 जिन छात्रों ने पहले ग्रामीण प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा (10+2 के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा) पूरा कर लिया है, वे बी.एससी. (ग्रामीण प्रौद्योगिकी) के तीसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

2.4 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी/या छात्रों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना**: डिग्री कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातक डिग्री, 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और वृतिक क्षेत्रों सहित किसी संकाय या क्षेत्र में 3 माह/6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा, या 2 वर्ष के अध्ययन के बाद एडवांस डिप्लोमा, या 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 4–वर्षीय बहु–विषयक स्नातक पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के

अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

4–वर्षीय पाठ्यक्रम, 'सम्मान के साथ' या 'अनुसंधान (शोध) के साथ' डिग्री प्राप्त करने हेतु अग्रणी भी हो सकेगा, यदि विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अध्ययन के उनके प्रमुख क्षेत्रों में कठिन अनुसंधान (शोध) योजना पूर्ण करता है।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, ग्रामीण प्रौद्योगिकी में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, प्रथम, तृतीय और पंचम (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय, चतुर्थ और छष्टम (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातक कार्यक्रम, तद्नुसार अधिकतम 5वर्ष/6 वर्ष की अवधि का होगा।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क– प्रत्येक विद्यार्थी को, अवकाश के दौरान, अध्ययन मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना अनिवार्य है।

9.7 शिक्षण की योजना– इस स्नातक कार्यक्रम के लिए डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.8 उपस्थिति– किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.9 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय की शैक्षणिक /पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार दो वर्ष से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे प्रवेश दिया जाएगा या न ही किसी सेमेस्टर में पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ इस स्नातक कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 माह से अनधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना

कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड ''डी'' है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड ''डी'' अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।)

में, अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन	– 20 प्रतिशत
(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी)	– 10 प्रतिशत
(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक))	– 20 प्रतिशत
(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा)	– 50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति	50 प्रतिशत
(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा	50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर

मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां एनसी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, एसजी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी चार वर्षों के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{सीजीपीए}^{\text{अभिप्राप्त}} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी तीन/चार वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, ग्रामीण प्रौद्योगिकी में स्नातक कार्यक्रम के लिए छठवें/आठवें (अंतिम) सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14. निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 138

स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के अनुमोदित संकायों और संबंधित विभाग के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तद्नुसार 3/6 माह के प्रमाणपत्र या 1 वर्षीय स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम पर लागू होगा। विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित किया जाने वाला नया डिप्लोमा कार्यक्रम भी, इन अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे।

यह अध्यादेश इस अध्यादेश की प्रभावी तिथि से पिछले किसी भी संबंधित अध्यादेशों का अनुपूरक होगा न कि उन अध्यादेशों को निष्प्रभावी करेगा।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता –

2.1 इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, पात्रता मानदंड यह है कि छात्र को 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से कोई अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 जिस उम्मीदवार ने 10+2 के बाद उसी विषय में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स को मान्यता दी है, वह सीधे सेमेस्टर II (बहु प्रवेश और निकास) में प्रवेश लेने के लिए पात्र है।

2.3 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय

वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी/या छात्रों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. सीटें : प्रारंभ में 60 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचना** : डिप्लोमा कार्यक्रमों की संरचना और अवधि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। स्नातक डिप्लोमा, 1 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, 3 माह/6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 1–वर्षीय पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार चुने हुए प्रमुख और गौण पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** :

सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, जुलाई–जून शिक्षण सत्र के लिये, प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातक कार्यक्रम, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 शिक्षण की योजना– इस स्नातक पाठ्यक्रम के लिए डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.7 उपस्थिति– किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.9 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय की शैक्षणिक /पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार 6 माह से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातक कार्यक्रम का विद्यार्थी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी

होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी

जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रकिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक

और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति 50 प्रतिशत

(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक कोर्स (प्रैक्टिकल कोर्स) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई=एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}} \text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई=एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ सी$_{आई}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, पी$_{आई}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां एनसी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, एसजी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी दो सेमेस्टर के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी

5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में दिए गए ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{अभिप्राप्त सीजीपीए} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12 अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकत है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूचीः

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14 निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 139

बहु प्रवेश और निकास के लिए अध्यादेश

व्यावसायिक और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के बीच गतिशीलता

और स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री (सीबीसीएस मोड) के लिए एक साथ

दो शैक्षणिक कार्यक्रम करना

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा जारी "उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश (एकाधिक प्रवेश) और निकास के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार)

1. शीर्षक और प्रारंभ :

1.1 यह अध्यादेश, स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री (सीबीसीएस मोड) के लिए अध्यादेश कहलायेगा।

1.2 शैक्षणिक परिषद के समग्र नियंत्रण के अध्यधीन, पाठयक्रमों का संचालन संबंधित अध्ययन मंडल/डीसीपीएल द्वारा किया जाएगा।

1.3 इस अध्यादेश के प्रावधान, शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू होंगे।

1.4 इस अध्यादेश के प्रावधान, विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित चार वर्षीय/आठ वर्षीय सेमेस्टर स्नातक पाठ्यक्रमों और अन्य समकक्ष स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू होंगे।

1.5 इस अध्यादेश के प्रावधान विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित तीन वर्षीय/छह सेमेस्टर, चार वर्षीय/आठ सेमेस्टर, पांच वर्षीय/दस सेमेस्टर स्नातक कार्यक्रम और अन्य समान स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों पर लागू होंगे।

2. सामान्य :

प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने के लिए अग्रणी शैक्षणिक मार्ग चुनने के लिए लचीली शिक्षा महत्वपूर्ण है। ऐसे अवसर आते हैं, जब शिक्षार्थियों को विभिन्न कारणों से अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। यह अध्यादेश, शिक्षार्थी को प्रमाणन के निचले स्तर के लिए समाधान करने और बीच में बाहर निकलने की स्थिति में शून्य–वर्ष के नुकसान को सुनिश्चित करने के लिए अनम्य सीमाओं को हटाने की अनुमति देगा। लचीली शिक्षा, आजीवन सीखने की सुविधा भी देती है। इन उद्देश्यों को कहीं से भी, कभी भी सीखने के अवसर के साथ–साथ बहु प्रवेश और निकास प्रणाली के सिद्धांत पर प्राप्त किया जा सकता है।

एनईपी–2020, विद्यार्थियों के लिए अपनी पसंद, सुविधा, या आवश्यकता के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान को बदलते हुए अपनी पसंद के विषय (विषयों) को चुनने और सीखने की नई संभावनाएं सृजित करेगा। निर्बाध विद्यार्थी गतिशीलता के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु, एनईपी–2020 में डिग्री पाठ्यक्रमों की संरचना और अवधि में समायोजन और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) की परिकल्पना की गई है, ताकि वितरित और लचीले अध्यापन–शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट मान्यता, क्रेडिट संचय, क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट मोचन की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से डिग्री देने वाले एचईआई के बीच या उसके भीतर विद्यार्थियों की निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित हो सके।

स्नातक की डिग्री, या तो तीन या चार वर्ष की अवधि की होगी, इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और वृत्तिक क्षेत्रों सहित किसी संकाय या क्षेत्र में एक वर्ष पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र; दो वर्ष के अध्ययन के बाद डिप्लोमा; या तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। तथापि, चार वर्षीय बहु–विषयक स्नातक पाठ्यक्रम, पसंदीदा विकल्प है, क्योंकि यह, विद्यार्थी की पसंद के अनुसार प्रमुख और गौण विषयों पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर देता है। यदि विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक अनम्य शोध परियोजना को पूरा करता है, तो चार वर्ष का कार्यक्रम भी, आनर्स/शोध (अनुसंधान) के साथ एक डिग्री की ओर अग्रसरित करेगा।

मास्टर कार्यक्रमों के लिए, HEI के पास अलग–अलग डिज़ाइन की पेशकश करने का लचीलापन होगा :

अ. दो साल का कार्यक्रम, जिसमें दूसरा साल उन लोगों के लिए शोध के लिए समर्पित है, जिन्होंने तीन साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा कर लिया है।

ब. उन छात्रों के लिए एक साल का मास्टर कार्यक्रम जो अनुसंधान/ऑनर्स के साथ चार साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–एनईपी 2020 में एक साथ दो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, जो औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा मोड दोनों को शामिल करते हुए शिक्षण के कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

3. उद्देश्य :

यह अध्यादेश, निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करेगा :

3.1 अनम्य सीमाओं को हटायेगा और शिक्षार्थियों के लिए नई संभावनाओं को सुगम बनायेगा।

3.2 स्कूल छोड़ने की दर को कम करेगा और जीईआर में सुधार करेगा।

3.3 अध्ययन के विषयों के रचनात्मक संयोजनों की पेशकश करेगा, जो बहु प्रवेश और निकास बिंदु को सक्षम करेगा।

3.4 विषय विशिष्ट विशेषज्ञता के अलावा विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम विकल्पों में लचीलापन प्रदान करेगा।

3.5 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विभिन्न डिजाईन पेश करेगा ।

3.6 मूल्यांकन के प्रावधान के साथ–साथ क्रेडिट संचय और अंतरण को सक्षम करेगा और डिग्री प्रदान करने के लिए गैर–औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का सत्यापन और आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करेगा, तथा

3.7 जब शिक्षार्थी, अपने अध्ययन के पाठ्यक्रमों को पुनः प्रारंभ करता है, तो अर्जित क्रेडिट को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

3.8 कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक शाखाओं के बीच, आदि के बीच, कोई अनम्य विभाजन नहीं है, जिससे कि शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों के बीच हानिकारक पदानुक्रम और साइलो को समाप्त किया जा सके।

3.9 व्यक्ति को एक अग्रसरण के स्तर पर अभिरुचि के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने में सक्षम बनाना है, और नैतिक चरित्र और संवैधानिक मूल्यों, जिज्ञासा, बौद्धिक वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा में उत्साह को भी विकसित करना है।

3.10 विद्यार्थियों को विचारशील, संपूर्ण और रचनात्मक व्यक्ति बनाने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषाओं के साथ–साथ वृत्तिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित कई विषयों की पेशकश करना है।

3.11 अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम बनाना है।

4. प्रथम डिग्री के लिए प्रवेश पथ :

4.1 इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम और दिशानिर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यूजीसी/नियामक निकायों द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

4.2 माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर से कक्षा 12 का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या/और राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थी, इन स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे ।

4.3 प्रवेश, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर संगणित मेरिट पर किया जाएगा, इस संबंध में यूजीसी और अन्य सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

4.4 किसी कार्यक्रम में विद्यार्थियों का नामांकन, विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों तक ही सीमित होगा।

5. स्नातक पाठ्यक्रम के लिए परिचालन विवरण :

5.1 शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास बिंदुओं को सक्षम करने के लिए, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री जैसी योग्यताएं, स्तर 5 से स्तर 10 तक आरोही क्रम में स्तरों की एक श्रृंखला में आयोजित की जाती हैं। स्तर 5, प्रमाण पत्र का प्रतिनिधित्व करता है और स्तर 10, अनुसंधान डिग्री (तालिका–1) का प्रतिनिधित्व करता है। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में कई श्रेणियों में पाठ्यक्रम शामिल हो सकते हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं :

- अनुशासनात्मक/अंतःविषय प्रमुख (40–56 क्रेडिट)
- अनुशासनात्मक/अंतःविषय गौण (20–28 क्रेडिट)
- व्यावसायिक अध्ययन (12–18 क्रेडिट)
- क्षेत्र परियोजना/इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/सामुदायिक संलग्नता और सेवा (24– 32 क्रेडिट)।

योग्यता प्रकार और क्रेडिट आवश्यकताएँ, तालिका–1 में दी गई हैं। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और निकास विकल्प निम्नानुसार हैं:

5.2 प्रथम वर्ष

प्रवेश 1 : स्तर 5 के लिए प्रवेश आवश्यकता, ग्रेड 12 के सफल समापन के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र है। स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अग्रसरित अध्ययन का पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है, जिन्होंने प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें पाठ्यक्रम (कार्यक्रम) प्रवेश विनियमों में विनिर्दिष्ट शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर प्रवेश के विनिर्दिष्ट स्तर शामिल हैं। अध्ययन के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश, आवेदक की स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने और पूरा करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है ।

निकास 1 : प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जब कोई विद्यार्थी वर्ष 1 (स्तर 5) के अंत में निकास करता है। स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष, माध्यमिक शिक्षा पर आधारित होता है और स्नातक प्रमाणपत्र के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के दौरान 36–40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।

5.3 द्वितीय वर्ष :

प्रवेश 2 : स्तर 6 के लिए प्रवेश आवश्यकता, स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (दो सेमेस्टर) को पूरा करने के बाद प्राप्त एक प्रमाण पत्र है। स्नातक की डिग्री के द्वितीय वर्ष के लिए अग्रसरित अध्ययन का पाठ्यक्रम, उन लोगों के लिए खुला है, जिन्होंने प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें पाठ्यक्रम (कार्यक्रम) प्रवेश विनियमों में प्रवेश के विनिर्दिष्ट स्तर शामिल है। अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश, आवेदक की स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने और पूरा करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है ।

निकास 2 : द्वितीय वर्ष के अंत में, यदि कोई विद्यार्थी निकास करता है, तो एक डिप्लोमा (स्तर 6) प्रदान किया जाएगा। डिप्लोमा के लिए स्तर 5 से 6 तक 72–80 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिसमें स्तर 6 पर 36–40 क्रेडिट होते हैं।

5.4 तृतीय वर्ष :

प्रवेश 3 : स्तर 7 के लिए प्रवेश आवश्यकता, स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (चार सेमेस्टर) को पूरा करने के बाद प्राप्त एक प्रमाण पत्र है। स्नातक की डिग्री के लिए अग्रसरित अध्ययन का पाठ्यक्रम, उन लोगों के लिए खुला है, जिन्होंने प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें पाठ्यक्रम (कार्यक्रम) प्रवेश विनियमों में प्रवेश के विनिर्दिष्ट स्तर शामिल है। अध्ययन के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश, आवेदक की स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने और पूरा करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है ।

निकास 3 : तीन वर्ष के सफल समापन पर, संबंधित डिग्री (स्तर 7) प्रदान की जाएगी। स्नातक की डिग्री के लिए स्तर 5 से 7 तक 108–120 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिसमें स्तर 5 पर 36–40 क्रेडिट, स्तर 6 पर 36–40 क्रेडिट और स्तर 7 पर 36–40 क्रेडिट होते हैं।

5.5 चतुर्थ वर्ष :

प्रवेश 4 : शिक्षण के एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्नातक की डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) (स्तर 8) में प्रवेश पाने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से संबंधित तीन वर्षीय स्नातक डिग्री (स्तर 7) की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया होना चाहिए। तीन वर्षीय स्नातक की डिग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, 7.5 के न्यूनतम सीजीपीए को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अनुसंधान के साथ स्नातक

की डिग्री को अनुशीलन करने और पूरा करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष में अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ।

निकास 4 : चतुर्थ वर्ष के सफल समापन पर, विद्यार्थी को डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) प्रदान किया जाएगा। स्नातक की डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) के लिए स्तर 5 से 8 तक कुल 144–160 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिसमें स्तर 5 पर 36–40 क्रेडिट, स्तर 6 पर 36–40 क्रेडिट, और स्तर 7 पर 36–40 क्रेडिट और 8 के स्तर पर 36 –40 क्रेडिट होते हैं।

6. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पथ :

6.1 • विद्यार्थियों को दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें द्वितीय वर्ष पूर्ण रूप से उन लोगों के लिए शोध के लिए समर्पित होगा, जिन्होंने तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

• ऑनर्स/रिसर्च के साथ चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा।

• यह, एक एकीकृत पांच वर्षीय स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकेगा ।

6.2 **प्रवेश 5** : स्तर 9 के लिए प्रवेश आवश्यकता, निम्नानुसार है :

• एक वर्षीय/दो सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च)।

• दो वर्षीय/चार सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री।

• एक वर्षीय/दो सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री।

स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए अग्रसरित अध्ययन के पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है, जिन्होंने प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिसमें पाठ्यक्रम प्रवेश विनियमों में प्रवेश के विनिर्दिष्ट स्तर शामिल है। अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश, आवेदक की निरीक्षण के विशेषज्ञ क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है।

निकास 5: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अर्थात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के अंत में, शामिल होने वाले लोगों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। प्रथम वर्ष के बाद निकास करने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

6.3 क्रेडिट आवश्यकताएं :

- एक वर्षीय/दो सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातक की डिग्री ऑनर्स/रिसर्च पर आधारित होता है और उन व्यक्तियों, जिन्होंने ऑनर्स/रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री पूर्ण की है, के लिए 36–40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
- दो–वर्षीय/चार–सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातक की डिग्री पर आधारित होता है और पाठ्यक्रम के दोनों वर्षों से कुल 72–80 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिसमें स्तर 9 पर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 36–40 क्रेडिट और द्वितीय वर्ष में 36–40 क्रेडिट होते हैं।
- एक वर्षीय/दो सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, स्नातक की डिग्री पर आधारित होता है और स्नातक की डिग्री पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए 36–40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
- विद्यार्थी को केवल विषम सेमेस्टर में प्रवेश/पुनःप्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और सम सेमेस्टर के बाद ही निकास कर सकेंगे। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रवेशकों के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनःप्रवेश अर्जित क्रेडिट और दक्षता परीक्षण रिकॉर्ड पर आधारित होना चाहिए।
- अर्जित क्रेडिट की वैधता, अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिए होगी, या जैसा कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, के लिए होगी। अर्जित क्रेडिट जमा करने की प्रक्रिया, इसकी शेल्फ लाइफ, क्रेडिट का मोचन, यूजीसी (उच्च शिक्षा में शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 और समय–समय पर संशोधन के अनुसार होगा।

तालिका–एक

अर्हता के प्रकार तथा क्रेडिट आवश्यकताएं		
स्तर	अर्हता शीर्षक	क्रेडिट आवश्यकताएं
लेवल 5	स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (दो सेमेस्टर) के बाद निकास करने वालों के लिए, स्नातक प्रमाणपत्र (शिक्षण/संकाय के क्षेत्र में), (पाठ्यक्रम की अवधि : स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर)	36–40
लेवल 6	स्नातक पाठ्यक्रम के दो वर्ष (चार सेमेस्टर) के बाद निकास करने वालों के लिए, स्नातक	72–80

	डिप्लोमा (शिक्षण/संकाय के क्षेत्र में), (पाठ्यक्रम की अवधि : स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	
लेवल 7	स्नातक की डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि : तीन वर्ष या छः सेमेस्टर)।	108–120
लेवल 8	स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) (पाठ्यक्रम की अवधि : चार वर्ष या आठ सेमेस्टर)।	144–160
लेवल 8	दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद निकास करने वालों के लिए, स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पाठ्यक्रम की अवधि : एक वर्ष या दो सेमेस्टर)	36–40
लेवल 9	स्नातकोत्तर डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि : स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)।	72–80
लेवल 9	स्नातकोत्तर डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि : चार वर्षीय स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या दो सेमेस्टर)।	36–40
लेवल 10	डॉक्टर की डिग्री	पाठ्यक्रम कार्य और एक थीसिस, प्रकाशित कार्य सहित, के लिये न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट

7. सामान्य शिक्षा का कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के साथ तुल्यकलन :

7.1 सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के साथ समन्वयित करने वाले संभावित मार्गों की रूपरेखा इस प्रकार है :

सामान्य शिक्षा का कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा के तुल्यकलन के लिए फ्रेमवर्क								
मूल्यांकन फ्रेमवर्क	स्तर	केडिट	कौशल	व्यावसायिक एवं तकनीकी	पूर्व अनुभवात्मक	पुनः प्रवेश	शैक्षणिक	सेमेस्टर

					शिक्षण का प्रत्यायन			
प्रत्यायित शिक्षण परिणाम आधारित स्तर	9	72–80	सभी अर्हता, युवाओं के व्यावसायिक विकास के लिए एमओई स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स (एमएएसव्हीएवाई) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार गुणता सुनिश्चित है				स्नातकोत्तर डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि : स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)।	दो वर्ष या चार सेमेस्टर
	9	36–40					स्नातकोत्तर डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि : चार वर्षीय स्नातक की डिग्री आनर्स/रिसर्च प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या दो सेमेस्टर)।	एक वर्ष या दो सेमेस्टर)
	9	180–200					एकीकृत स्नातक–स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम	पांच वर्ष या दस सेमेस्टर)
	8	36–40					दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद निकास करने वालों के लिए, स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पाठ्यक्रम की अवधि : एक वर्ष या दो सेमेस्टर)	एक वर्ष या दो सेमेस्टर)
	8	144–160					स्नातक डिग्री आनर्स/रिसर्च (पाठ्यक्रम की अवधि : चार वर्ष या आठ सेमेस्टर)।	चार वर्ष या आठ सेमेस्टर)
	7	108–120					स्नातक डिग्री (पाठ्यक्रम की अवधि : तीन वर्ष या छः सेमेस्टर)।	तीन वर्ष या छः सेमेस्टर)
	6	72–80	डिप्लोमा	डिप्लोमा			स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्ष (चार सेमेस्टर के बाद निकास करने वालों के लिए, स्नातक डिप्लोमा (शिक्षण/शाखा के क्षेत्र में) (पाठ्यक्रम की अवधि : स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	दो वर्ष या चार सेमेस्टर)
	5	36–40	स्कील सर्टिफिकेट	वोकेशनल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट			स्नातक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (दो सेमेस्टर) के बाद बाहर निकलने वालों के लिए स्नातक प्रमाणपत्र	एक वर्ष या (दो सेमेस्टर)

							(सीखने/अनुशासन के क्षेत्र में)। (कार्यक्रम की अवधिः स्नातक कार्यक्रम के दो सेमेस्टर का पहला वर्ष)	

7.2 सामान्य शिक्षा और कौशल शिक्षा घटकों का आकलन :

शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में, निर्बाध पार्श्व गतिशीलता के लिए, शिक्षण के परिणामों के आधार पर आकलन किया जायेगा ।

- सामान्य शिक्षा घटक का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

- पाठ्यक्रम के कौशल घटक का मूल्यांकन आम तौर पर संबंधित सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा किया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट व्यापार के लिए कोई एसएससी नहीं है, तो मूल्यांकन किसी संबद्ध क्षेत्र परिषद या उद्योग भागीदार (कौशल ज्ञान प्रदाता) या किसी मान्यता प्राप्त कौशल विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि संबंधित/प्रासंगिक व्यापार में एसएससी के पास कोई अनुमोदित योग्यता पैक/दक्षताओं का सेट नहीं है, जिसे उत्तरोत्तर मैप किया जा सकता है या किसी अन्य कारण से एसएससी मूल्यांकन करने में असमर्थता व्यक्त करता है या निर्धारित समय में कौशल मूल्यांकन नहीं कर सकता है। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, संस्थान कौशल मूल्यांकन बोर्ड के माध्यम से कौशल मूल्यांकन कर सकते हैं। कौशल मूल्यांकन बोर्ड में कार्यक्रम/केंद्र के कुलपति/प्रिंसिपल/निदेशक/नोडल अधिकारी/समन्वयक, भागीदार उद्योग के प्रतिनिधि, परीक्षा नियंत्रक का एक नामित व्यक्ति या विश्वविद्यालय का उसका नामित व्यक्ति हो सकता है। कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ।

- एक क्रेडिट का अर्थ है एक सेमेस्टर (13–15 सप्ताह) की अवधि के लिए प्रति सप्ताह थ्योरी के एक घंटे या ट्यूटोरियल के एक घंटे या प्रयोगशाला कार्य के दो घंटे की गणना करने की मानक पद्धति, जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किया जाता है; जो एक उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं; और, इंटर्नशिप के लिए क्रेडिट, 'इंटर्नशिप के प्रति एक सप्ताह में एक क्रेडिट होगा, जो अधिकतम छः क्रेडिट के अध्यधीन होगा।

8. दो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अनुशीलन के लिए साथ–साथ संचालन प्रक्रिया :

8.1. विद्यार्थी, भौतिक मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का अनुशीलन कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में, किसी पाठ्यक्रम के लिए कक्षा का समय पीएचडी के अलावा अन्य पाठ्यक्रम के कक्षा समय के साथ अतिव्याप्त न हो ।

8.2. विद्यार्थी, दो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का अनुशीलन कर सकता है, एक पूर्णकालिक भौतिक मोड में और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल)/ऑनलाइन मोड/अन्य मोड में; या पीएचडी के अलावा एक साथ दो ओडीएल/ऑनलाइन पाठ्यक्रम/अन्य मोड पाठ्यक्रम तक।

9. परीक्षाएं :

9.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

9.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

9.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

9.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

9.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

9.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

9.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

9.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई

उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

9.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

9.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

9.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रकिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

10. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

10.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

10.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए।

प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन	– 20 प्रतिशत
(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी)	– 10 प्रतिशत
(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक))	– 20 प्रतिशत
(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा)	– 50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति	50 प्रतिशत
(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा	50 प्रतिशत
कुल	– 100 प्रतिशत

10.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक विषय (प्रैक्टिकल सब्जेक्ट) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें

कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एनसी}_{\text{जे}}}$$

जहां एनसी$_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, एसजी$_{\text{जे}}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

10.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम मे दिए गए कुल क्रेडिट

10.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

10.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी चार वर्षों के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी

सीजीपीए <5.0	असफल

10.1.7 किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम दिए गए में ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{अभिप्राप्त सीजीपीए} \times 100}{10}$$

10.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

11. किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति :

अध्यादेश में जो कुछ भी निहित है, उसके होते हुए भी, अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद/कार्यकारी परिषद, असाधारण परिस्थितियों में और संबंधित अध्ययन मंडल या समुचित समिति की अनुशंसा पर, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के गुण–दोष पर विचार कर सकती है, और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

अध्यादेश क्र. 93

कला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

1. सामान्य :

यह अध्यादेश, कला संकाय के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तद्नुसार कला में 2 या 1 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम पर लागू होगा।

कला में स्नातकोत्तर डिग्री को, एमए के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जो कि एक स्नातकोत्तर है, या तद्नुसार विषय में दो वर्षीय स्नातकोतर उपाधि (मास्टर डिग्री) है।

यह अध्यादेश इस अध्यादेश की प्रभावी तिथि से पिछले किसी भी संबंधित अध्यादेशों का अनुपूरक होगा न कि उन अध्यादेशों को निष्प्रभावी करेगा।

यदि कार्यक्रम के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुशंसित मानदंड या नियम एवं विनियम में कतिपय विकल्पों की अपेक्षा हो, तो कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. पात्रता :

2.1 दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री में प्रवेश के लिए, संबंधित और प्रासंगिक विषय में स्नातक या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.2 अनुसंधान या ऑनर्स के साथ 4–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्र 1–वर्षीय मास्टर कार्यक्रम (द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश) में प्रवेश के लिए पात्र होंगे या यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जैसा भी निर्धारित हो।

2.3 प्रवेश उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिन्होंने अपने स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/जिला/राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/कार्यक्रम या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भाग लिया हो और उसका प्रतिनिधित्व किया हो। एनसीसी/एनएसएस/राष्ट्रीय स्तर

के खेल आयोजन में भागीदारी/राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार/किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से कोई अन्य वैध समकक्ष प्रमाण पत्र/पुरस्कार धारक हो।

3. प्रवेश :

3.1 विश्वविद्यालय, प्रत्येक चक्र की प्रारंभ होने से पहले समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल और अन्य प्रचार मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

3.2 इस कार्यक्रम में, या तो योग्यता के आधार पर (जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित किया जायेगा) योग्यता परीक्षा में, या इस उद्देश्य के लिए आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा में, जैसा और जब आवश्यक हो, प्रवेश दिया जाएगा।

3.3 प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभागीय नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी/या छात्रों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जाएगा।

3.4 उम्मीदवार, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को कटऑफ तिथि से पहले अपेक्षित पात्रता मानदंड के प्रमाण के रूप में मार्क शीट/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, प्रदान की गई अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.5 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है:

3.5.1 उम्मीदवार, पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हों।

3.5.2 फीस संलग्न नहीं हो।

3.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, आवेदन पत्र पर उम्मीदवार और उसके माता–पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये हों।

3.6 सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवश्यक शुल्क के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

3.7 विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को प्रवेश, संबंधित अध्यादेश के अनुसार दिया जायेगा।

4. **सीटें** : प्रारंभ में 40 सीटें। विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा के अनुमोदन से सीटें बढ़ाई/घटाई जा सकती हैं एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को सूचित करेगा।

5. **फीस** : कार्यक्रम की फीस विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सीजीपीयूआरसी) के अनुमोदन से तय की जाएगी।

6. **माध्यम** : शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। कोर्स को, नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। नियमित सैद्धान्तिक (थ्योरी) एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाएं, फील्ड वर्क एवं प्रोजेक्ट वर्क संचालित किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7. **कार्यक्रम की अवधि और संरचनाः** स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम, तद्नुसार 1 या 2 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर बहु प्रवेश और बहु निकास (यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार) विकल्पों के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्रों के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और वृतिक क्षेत्रों सहित किसी संकाय या क्षेत्र में 3 माह/6 माह पूरा करने के बाद (तदनुसार अवधि समायोजित की जाएगी), या 1 वर्ष पूरा करने के बाद स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद स्नातकोत्तर की डिग्री का प्रमाण पत्र शामिल है। तथापि, यह 4–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए, 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकेगा।

8. **स्थानांतरित उम्मीदवार** : किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से स्थानांतरित उम्मीदवार, कला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, बशर्ते संबंधित शाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई हो।

9. **शिक्षण सत्र** : सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष, प्रथम और तृतीय (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जुलाई से दिसंबर के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी, और द्वितीय और चतुर्थ (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान समवर्ती रूप से संचालित होगी।

शैक्षणिक सत्र जनवरी–दिसम्बर के लिए, प्रत्येक वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण सत्र, जनवरी से जून के दौरान निरंतर संचालित होगी तथा द्वितीय सेमेस्टर, जुलाई से दिसम्बर के दौरान निरंतर संचालित होगी।

9.1 प्रत्येक सेमेस्टर में मानदण्ड के अनुरूप शिक्षण दिया जायेगा।

9.2 उम्मीदवार, अपने सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, की परीक्षा समाप्त होने के बाद उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा। तथापि, उसकी पात्रता का मूल्यांकन, खंड 10.5 के अनुसार, सेमेस्टर, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के परिणाम घोषित होने के बाद ही किया जाएगा।

9.3 अधिकतम अवधि– यह स्नातकोत्तर कार्यक्रम, अधिकतम 4 वर्ष की अवधि की होगी।

9.4 शिक्षण की ईकाई प्रणाली – प्रत्येक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा के प्रश्नपत्रों में, प्रश्नपत्र की संरचना के अनुसार प्रत्येक इकाई से प्रश्न होंगे।

9.5 मापन की ईकाइयाँ– सभी शिक्षण और प्रश्न पत्र सेटिंग, अध्ययन मंडल और परीक्षा मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार की जाएंगी।

9.6 व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क– प्रत्येक विद्यार्थी को, अवकाश के दौरान, अध्ययन मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार व्यावसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना अनिवार्य है।

9.7 शिक्षण की योजना– इस स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार, कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सेमेस्टर के लिए शिक्षण और परीक्षा की योजना का अनुपालन किया जायेगा।

9.8 उपस्थिति– किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक कोर्स में पृथक–पृथक से आयोजित व्याख्यान (लेक्चर), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल), अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षाओं, परियोजना और फिल्ड कार्य में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति देना आवश्यक है। 15 प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से क्षमा किया जा सकेगा।

9.9 असाधारण लंबी अनुपस्थिति– यदि कोई विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के कला संकाय की शैक्षणिक /पाठ्यक्रम एवं सह–पाठयक्रम गतिविधियों में, लगातार एक वर्ष से अधिक समयावधि तक, भाग नहीं लेता है, तो उसे न तो बाद की किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और न ही उसे किसी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा या न ही पदोन्नत किया जायेगा, तथा वह इस विश्वविद्यालय के साथ–साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम का विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। यहाँ शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है, नियमित विद्यार्थी होने के लिए व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थित होना, मुख्य या बैकलॉग परीक्षा में शामिल होना आदि। चिकित्सा आधार पर परिसर से अनुपस्थिति, 3 महीने से अधिक अवधि के अंतराल पर या माननीय कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना चाहिए।

10. परीक्षाएं :

10.1 सीवीआरयू द्वारा आयोजित प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में उस सेमेस्टर की परीक्षा की योजना के अनुसार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र (थ्योरी पेपर), प्रयोगशाला प्रायोगिक (लेबोरेटरी प्रैक्टिकल), परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) और वाइवा–वॉयस शामिल होंगे। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएगी।

10.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक पूर्ण परीक्षा होगी, जिसमें सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य सम्मिलित होंगे।

10.3 परीक्षा की अवधि, 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए या माननीय कुलपति द्वारा तय किये गए अनुसार।

10.4 किसी विशेष सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गए उम्मीदवार को, नियमित उम्मीदवार के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा।

10.5 यदि उम्मीदवार सेमेस्टर के कोर्स में कम से कम 40 प्रतिशत कोर्स में अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा। एक असफल

उम्मीदवार संबंधित भाग में या पूरी परीक्षा में, जैसा भी मामला हो, बाद की परीक्षाओं में एटी/केटी छात्र के रूप में दोबारा उपस्थित हो सकता है।

10.6 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार घोषित की जानी चाहिए।

10.7 तैयारी अवकाश – प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा से पूर्व या सीवीआरयू द्वारा प्रकाशित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार केवल लगभग 10 दिनों का तैयारी अवकाश दी जायेगी।

10.8 अग्रनयन (कैरीओवर)– किसी उम्मीदवार को उच्च सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के सभी कोर्स, अर्थात् थ्योरी और प्रेक्टिकल को अग्रनयन करने की अनुमति दी जाएगी, उसे केवल उन कोर्सेस (थ्योरी और प्रेक्टिकल) में आगामी ईएसई उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसमें उसे डब्ल्यूएच या एफएफ ग्रेड प्रदान किया गया था।

10.9 यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो वह टीए (शिक्षक मूल्यांकन) में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र होगा।

10.10 परीक्षा की रीति, परिस्थितियों को देखते हुए, (ऑनलाईन/ऑफलाईन) होगी।

10.11 डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिभाषित मानदण्ड और प्रक्रिया के अनुसार, समय समय पर, परीक्षा केन्द्रों को अधिसूचित किया जायेगा।

11. क्रेडिट/ग्रेड प्रदान करना और परीक्षा योजना

11.1.1 इकाइयों और समकक्ष क्रेडिट के संदर्भ में इसके अधिभार के साथ–साथ प्रत्येक कोर्स, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान, केवल स्वीकृत कोर्सेस की पेशकश की जा सकेगी।

(एक) प्रत्येक घटक के लिए अधिभार (वेटेज)/अंकों का वितरण, अध्ययन/संकाय के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुशंसित और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(दो) संबंधित अध्ययन मंडल/परीक्षा मंडल/संकायों द्वारा और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार, एक छात्र को कोर्स में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए ट्यूटोरियल कार्य, प्रैक्टिकल, होम असाइनमेंट, क्लास टेस्ट मिड–सेमेस्टर टेस्ट, फील्ड वर्क, सेमिनार, क्विज़, एंड–सेमेस्टर परीक्षाओं और नियमितता के माध्यम से, जैसा कि प्रस्तावित है, लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

11.1.2 डिग्री प्रदान करने और उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम **संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)**, 5.0 आवश्यक है।

(एक) कार्यक्रम के किसी विशेष कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ग्रेड "डी" है। हालांकि, उम्मीदवार को कोर्स के सैद्धांतिक और व्यावहारिक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाहरी और आंतरिक घटकों में अलग से न्यूनतम ग्रेड "डी" अंक प्राप्त करना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए संस्थान के बाहर से एक बाहरी परीक्षक हमेशा मौजूद रहेगा।

(दो) यदि किसी उम्मीदवार ने लागू वर्ष के सभी कोर्सेस को उत्तीर्ण कर लिया है, किन्तु आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम **सीजीपीए, 5.0** प्राप्त करने में असफल रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार को, आगामी परीक्षा (किसी कोर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग–अलग विषयों के रूप में माना जाएगा।) में, **अधिकतम तीन थ्योरी और प्रैक्टिकल विषयों** में पुनः उपस्थित होकर, अपेक्षित ग्रेड पॉइंट में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी ।

(तीन) उपरोक्त खंड (दो) के प्रावधान के अलावा, किसी उम्मीदवार को, उस परीक्षा में डिवीजन/ग्रेड में सुधार के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) थ्योरी ब्लॉक

(एक) उपस्थिति, योग्यता और अनुशासन – 20 प्रतिशत

(दो) क्लास टेस्ट/असाइनमेंट/क्विज (प्रश्नोत्तरी) – 10 प्रतिशत

(तीन) माइनर (मध्य–सेमेस्टर परीक्षा(एक)) – 20 प्रतिशत

(चार) माइनर (अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा) – 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

(ख) प्रैक्टिकल ब्लॉक

(एक) लैब कार्य और प्रदर्शन, क्वीज (प्रश्नोत्तरी), असाइनमेंट और उपस्थिति 50 प्रतिशत

(दो) अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा 50 प्रतिशत

कुल – 100 प्रतिशत

11.1.3 प्रायोगिक प्रशिक्षण और परियोजना कार्य को, प्रायोगिक विषय (प्रैक्टिकल सब्जेक्ट) के रूप में माना जाएगा।

(एक) प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्यतः एक मध्य–सेमेस्टर परीक्षा और 4 कक्षा परीक्षा (क्लास टेस्ट) होंगे। केवल आकस्मिक मामलों में ही कुलपति के अनुमोदन से परीक्षाओं की संख्या को घटाकर दो किया जा सकता है।

(दो) किसी विद्यार्थी को दिया गया ग्रेड विभिन्न परीक्षाओं, असाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा कार्य, क्लास टेस्ट, मध्य–सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा में प्रदर्शन और नियमितता के माध्यम से, उसके निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रेड और उनके संख्यात्मक समकक्ष, निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

श्रेणी	प्रतिशत अंक श्रेणी	प्रदर्शन का विवरण	ग्रेड पॉइंट
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(तीन) सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{एसजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{एल}}\text{पी}_{\text{आई}}}{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{सी}_{\text{आई}}}$$

जहाँ $\text{सी}_{\text{आई}}$, एक सेमेस्टर के आई वें कोर्स में दिए जाने वाले क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए एसजीपीए की गणना की जानी है, $\text{पी}_{\text{आई}}$, आई वें कोर्स में अर्जित तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट है, जहाँ आई = 1,2,.....एन, उस सेमेस्टर में कोर्सेस की संख्या है।

$$\text{सीजीपीए} = \frac{\sum_{\text{आई}=\text{एल}}^{\text{एन}} \text{एसजी}_{\text{जे}}\text{एनसी}_{\text{जे}}}{\text{एन}}$$

$$\sum_{आई=एल} एनसी_{जे}$$

जहां एनसी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, एसजी$_{जे}$, *जे* वें सेमेस्टर में अर्जित एसजीपीए है, जहां *जे* = 1,2.....एम, उस कार्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.1.4 विशेष कार्यक्रम में अर्जित क्रेडिट होगा

अर्जित क्रेडिट = ग्रेड बिंदु× विशेष कार्यक्रम मे दिए गए कुल क्रेडिट

11.1.5 कमी की क्षमा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थी के सर्वोत्तम हित के लिए सात अंकों तक की कमी को क्षमा किया जा सकेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक ही कोर्स के दो से अधिक कोर्सेस (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कमी को, (अनुग्रह अंक प्रदान करने के उद्देश्य से) दो अलग–अलग कोर्सेस के रूप में माना जाएगा।

(एक) कुलपति की अनुमति से दो अंक से, अनुत्तीर्ण/विशिष्ट योग्य अंक पाने से /प्रथम श्रेणी पाने से, चूकने वाले अभ्यर्थी को, दो अनुग्रह अंक दिया जाएगा।

11.1.6 डिविजन प्रदान करना

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभी चार वर्षों के लिए उम्मीदवार के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर और अंतिम–सेमेस्टर परीक्षा के बाद ही डिवीजन प्रदान किया जाएगा।

सीजीपीए स्कोर	डिविजन
7.5 ≤सीजीपीए	सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी
6.5 ≤सीजीपीए<7.5	प्रथम श्रेणी
5.0 ≤सीजीपीए<6.5	द्वितीय श्रेणी
सीजीपीए <5.0	असफल

11.1.7 किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम दिए गए में ग्रेड से, समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तन, निम्नलिखित प्रयोज्य सूत्र के अनुसार होगा।

$$\text{अभिप्राप्त प्रतिशत अंक} = \frac{\text{अभिप्राप्त सीजीपीए} \times 100}{10}$$

11.2 प्रतिलेख

कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किसी भी विद्यार्थी को जारी किए गए प्रतिलेख में, विद्यार्थी द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रमों, प्राप्त ग्रेड और कक्षा या प्राप्त डिविजन के साथ अंतिम सीपीआई का समेकित अभिलेख (रिकॉर्ड) होगा।

12. अंकों की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन

12.1 पुनर्गणना :

12.1.1 कोई भी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ है, किसी एक या दो या तीन थ्योरी प्रश्नपत्रों के अंकों के पुनर्गणना के लिए सीवीआरयू में आवेदन कर सकता है।

12.1.2 ऐसे आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्रों पर, परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उस संस्थान के संबंधित प्राचार्यों, जहां उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, को किए जाने चाहिए।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच शामिल नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या वैयक्तिक उत्तरों को दिए गए अंकों के योग में, या किसी उत्तर को दिए गए अंकों को छोड़ने वाली, कोई गलती हुई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकन :

12.2.1 उम्मीदवार, अपनी मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए, अधिकतम दो थ्योरी प्रश्नपत्रों हेतु, आवेदन कर सकता है।

12.2.2 ऐसा आवेदन, अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

12.2.3 यदि पुनर्मूल्यांकन पर मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में त्रुटि का पता चलता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार को अधिसूचित किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम, उम्मीदवार को संसूचित किया जाएगा।

12.3 प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) के मामले में, किसी भी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13 मेरिट सूची:

13.1 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्मीदवारों में से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के क्रम में शीर्ष 5 उम्मीदवारों की मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

13.2 सभी दो वर्षों के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर, कला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए चतुर्थ (अंतिम) सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रमवार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जाएगी। मेरिट सूची में पहले प्रयास में प्रथम श्रेणी अभिप्राप्त करने वाले पहले 3 उम्मीदवार शामिल होंगे।

13.3 पुनर्मूल्यांकन परिणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

14 निर्वचन :

इस अध्यादेश के निर्वचन के विषय में संदेह, विवाद या अस्पष्टता के मामले में, कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और संबंधित विद्यार्थियों/उम्मीदवारों/पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यादेश क्र. 119 (संशोधन)

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम और कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी)।

क्रमांक	खण्ड क्रमांक / शीर्षक में संशोधन	मौजूदा खंड / शीर्षक	संशोधन
1	परिचय (संशोधन)	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, कोटा बिलासपुर (छ.ग.) व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम के स्ट्रीम आधारित क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञता पर III से VII तक व्यावसायिक प्रमाणन स्तर, डिप्लोमा (व्यावसायिक), एडवांस डिप्लोमा (व्यावसायिक) या व्यावसायिक डिग्री प्रदान करता है।	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, कोटा बिलासपुर (छ.ग.), व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के शाखा आधारित क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञता में, तीन से नौ तक व्यावसायिक प्रमाणन स्तर, डिप्लोमा (व्यावसायिक), एडवांस डिप्लोमा (व्यावसायिक) या एक व्यावसायिक डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (व्यावसायिक) या स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री प्रदान करता है।
2	1.1, 1.2, 1.3	1.1 प्रमाणन स्तर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या व्यावसायिक डिग्री स्ट्रीम आधारित क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञता पर आधारित होगी। 1.2 प्रत्येक प्रमाणन स्तर के लिए प्रति	1.1 प्रमाणन स्तर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या व्यावसायिक डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा (व्यावसायिक), स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री स्ट्रीम आधारित क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञता पर आधारित होगी।

		वर्ष 1000 घंटे की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। डिग्री या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा की ओर ले जाने वाली व्यावसायिक स्ट्रीम के लिए, घंटों में दो घटक होंगे – व्यावसायिक (कौशल) और अकादमिक। जैसे–जैसे प्रमाणन का स्तर बढ़ेगा, व्यावसायिक घटक बढ़ता जाएगा। 1.3 प्रमाणन स्तर पर कौशल मॉड्यूल या व्यावसायिक सामग्री, एक एकल कौशल या निर्धारित घंटों की संख्या के कौशल का समूह हो सकता है।	1.2 प्रत्येक प्रमाणन स्तर के लिए प्रति वर्ष शिक्षा और प्रशिक्षण के 60 क्रेडिट के बराबर 1000 घंटे की आवश्यकता होती है। डिग्री या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा की ओर ले जाने वाली व्यावसायिक स्ट्रीम के लिए, घंटों में दो घटक होंगे – व्यावसायिक (कौशल) और अकादमिक। जैसे–जैसे प्रमाणन का स्तर बढ़ेगा, व्यावसायिक घटक बढ़ता जाएगा। 1.3 प्रमाणन स्तर पर कौशल मॉड्यूल या व्यावसायिक सामग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या व्यावसायिक डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (वोकेशनल), पोस्ट ग्रेजुएट वोकेशनल डिग्री एक एकल कौशल या निर्धारित घंटों की संख्या के कौशल का समूह हो सकता है।
3	2.1	2.1 सामान्य स्ट्रीम से व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रवेश करने वाला एक छात्र एक निश्चित स्तर में प्रवेश कर सकता है, बशर्ते उस स्तर पर आवश्यक कौशल एक पंजीकृत एसकेपी से प्राप्त किया गया हो।	2.1 सामान्य स्ट्रीम से व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रवेश करने वाला एक छात्र एक निश्चित स्तर में प्रवेश कर सकता है, बशर्ते कि उस स्तर पर आवश्यक कौशल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार एक पंजीकृत कौशल ज्ञान प्रदाता से प्राप्त किया गया हो।

4	2.4 (जोड़ना)	नया जोड़ा गया।	एक छात्र ने पहले ही एक विशेष उद्योग क्षेत्र में एनएसक्यूएफ प्रमाणन स्तर 7 हासिल कर लिया है और एम.वोक में प्रवेश का विकल्प चुना है। नौकरी की भूमिका के साथ उसी ट्रेड में डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (वोकेशनल) जिसके लिए उसे पहले प्रमाणित किया गया था।
5	2.5	2.5 एक उम्मीदवार को स्नातक स्तर तक पहुंचने के लिए व्यावसायिक स्ट्रीम या पारंपरिक स्ट्रीम में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा, एक उम्मीदवार को व्यावसायिक स्ट्रीम से वर्तमान औपचारिक उच्च शिक्षा स्ट्रीम में या इसके विपरीत विभिन्न स्तरों पर जाने की स्वतंत्रता होगी।	2.5 एक उम्मीदवार को स्नातक स्तर तक पहुंचने के लिए व्यावसायिक स्ट्रीम या पारंपरिक स्ट्रीम में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा, एक उम्मीदवार को उच्च शिक्षा संस्थानों में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न चरणों में व्यावसायिक स्ट्रीम से वर्तमान औपचारिक उच्च शिक्षा स्ट्रीम या इसके विपरीत में जाने की स्वतंत्रता होगी।
6	2.6.1 (संशोधन तालिका के बाद)	नया जोड़ा गया।	यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार बी.वोक. कार्यक्रम को बहु प्रवेश और निकास विकल्प और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के साथ डिज़ाइन किया गया है। 10वीं के बाद दो साल का आईटीआई डिप्लोमा रखने वाले छात्र बी.वोक में प्रवेश लेने के पात्र हैं। प्रासंगिक क्षेत्र में.

			10+2 के बाद व्यावसायिक / व्यावसायिक /तकनीकी कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले छात्र बी.वोक के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेने के पात्र हैं। प्रासंगिक क्षेत्र में, उदाहरण के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा वाला छात्र बी.वोक के दूसरे वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए पात्र है। (आईटी/आईटीईएस क्षेत्र)। वोकेशनल में तीन साल का डिप्लोमा करने वाले छात्र बी.वोक के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेने के पात्र हैं। प्रासंगिक क्षेत्र में, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल (पॉलिटेक्निक) में डिप्लोमा वाला छात्र बी.वोक के दूसरे वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए पात्र है। (एडवांस्ड डिप्लोमा) इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में। स्नातक के बाद व्यावसायिक/ व्यावसायिक /तकनीकी कार्यक्रम में एक वर्ष का पीजी डिप्लोमा रखने वाले छात्र एम.वोक के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं। प्रासंगिक क्षेत्र में, उदाहरण के लिए पी.जी. वाला छात्र। कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा एम.वोक के दूसरे वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए पात्र है। (आईटी/आईटीईएस क्षेत्र)।
7	3.2, 3.5, 3.6	3.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शैक्षणिक भाग के लिए क्लास टेस्ट (सीटी),	3.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शैक्षणिक भाग के मूल्यांकन के साथ–साथ क्लास

		शिक्षक मूल्यांकन (टीए) और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) और अंतिम सेमेस्टर प्रैक्टिकल परीक्षा (ईएसई) होगी। 3.5 कौशल भाग में अंतिम स्तर की व्यावहारिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए एक बाहरी परीक्षक हमेशा एसकेपी (कौशल ज्ञान प्रदाता) के बाहर से और एक आंतरिक परीक्षक एसकेपी से रहेगा। इसी प्रकार, शैक्षणिक भाग में विषयों की प्रायोगिक परीक्षा के संचालन के लिए संस्था से एक आंतरिक परीक्षक और संस्था से बाहर एक बाह्य परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। 3.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शैक्षणिक भाग के प्रत्येक विषय में कम से कम दो कक्षा परीक्षण होंगे। शैक्षणिक भाग के सिद्धांत और/या प्रैक्टिकल के प्रत्येक विषय और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कौशल भाग के प्रत्येक प्रैक्टिकल में शिक्षक का मूल्यांकन होम असाइनमेंट, क्विज़, टेक होम टेस्ट और वाइवा–वॉयस आदि पर निर्भर करेगा, जबकि व्यावसायिक कौशल परीक्षण वास्तविक नौकरी पर किया जाएगा।	टेस्ट (सीटी), शिक्षक मूल्यांकन (टीए) और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई) और अंतिम सेमेस्टर प्रैक्टिकल परीक्षा (ईएसई) होगी। 3.5 कौशल भाग में अंतिम स्तर की व्यावहारिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए एक बाहरी परीक्षक हमेशा एसकेपी (कौशल ज्ञान प्रदाता) के बाहर से और एक आंतरिक परीक्षक एसकेपी से रहेगा। इसी प्रकार, शैक्षणिक भाग में पाठ्यक्रमों की व्यावहारिक परीक्षा के संचालन के लिए संस्थान से एक आंतरिक परीक्षक और संस्थान से बाहर एक बाहरी परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। 3.6 व्यावसायिक कार्यक्रम के शैक्षणिक भाग के प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम दो कक्षा परीक्षण होंगे। शैक्षणिक भाग के सिद्धांत और/या प्रैक्टिकल के प्रत्येक विषय और व्यावसायिक कार्यक्रम के कौशल भाग के प्रत्येक प्रैक्टिकल में शिक्षक का मूल्यांकन होम असाइनमेंट, क्विज़, टेक होम टेस्ट, ऑनलाइन कौशल परीक्षण और वाइवा–वॉयस आदि पर निर्भर करेगा, जबकि व्यावसायिक कौशल परीक्षण होगा। वास्तविक कार्य और कौशल प्रदर्शन पर किया गया।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>कार्य एवं कौशल प्रदर्शन.</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>4.1.1</td><td>4.1.1 कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं और ट्यूटोरियल के सैद्धांतिक के लिए एक क्रेडिट का मतलब 60 मिनट की 15 अवधियों के बराबर होगा;</td><td>4.1.1 एक क्रेडिट का मतलब सैद्धांतिक के लिए 60 मिनट की 15 अवधियों के बराबर होगा। कार्यशालाओं/ प्रयोगशालाओं और ट्यूटोरियल के लिये 30 घंटे निर्धारित होंगे।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>4.2</td><td>4.2 The Suggested credits for each of the year are as follows:
<table>
<tr><th>Level</th><th>Entry Qualification</th><th>Skill Component Credits</th><th>General Education Credits</th><th>Normal Calendar Duration</th><th>Exit Point/ Award</th><th>Certification Body</th></tr>
<tr><td>III</td><td>XI</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td>XII</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>V</td><td>Year 1</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Year 2</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Advance Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>Year 3</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>B.oc. Degree</td><td>CVRU</td></tr>
</table>
Addition of two more rows</td><td>4.2 The Suggested credits for each of the year are as follows:
<table>
<tr><th>Level</th><th>Entry Qualification</th><th>Skill Component Credits</th><th>General Education Credits</th><th>Normal Calendar Duration</th><th>Exit Point/Award</th><th>Certification Body</th></tr>
<tr><td>III</td><td>XI</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td>XII</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>V</td><td>Year 1</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Year 2</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Advance Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>Year 3</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>B.oc. Degree</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VIII</td><td>Year 1 (PG)</td><td>36</td><td>24</td><td>One YEar</td><td>P.G. Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>IX</td><td>Year 2 (PG)</td><td>36</td><td>24</td><td>One YEar</td><td>M.Voc. P.G. Degree</td><td>CVRU</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>4.3.4 (जोड़ना)</td><td>नया जोड़ा गया।</td><td>उम्मीदवार, जिन्होंने व्यावसायिक/संबंधित शैक्षणिक शाखा में स्नातक उत्तीर्ण किया हो, एम.वोक. पाठ्यक्रम या पी.जी. डिप्लोमा (व्यावसायिक) में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>4.3.5 (जोड़ना)</td><td></td><td>उम्मीदवार, जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से एनएसक्यूएफ स्तर 7 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, एम.वोक. पाठ्यक्रम या पी.जी. डिप्लोमा (व्यावसायिक) में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>12</td><td>4.3.6
(जोड़ना)</td><td></td><td>उम्मीदवार, जिनको संबंधित शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त है या जिन्होंने एनएसक्यूएफ स्तर–आठ उत्तीर्ण किया हो, एम.वोक. पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश लेने के पात्र हैं।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>4.3
(अंतिम पैराग्राफ के बाद जोड़ना है।)</td><td></td><td>स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कौशल स्तर–सात के ज्ञान की अपेक्षा होगी, और अंतिम वर्ष में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) के लिए स्तर–आठ की अपेक्षा होगी।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>8</td><td>
<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Name of Award</th><th>Basis</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Certification level 3</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Certification level 4</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Certification level 5</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Certification level 6</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Certification level 7</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Certification level 8</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>Certification level 9</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>VIII</td><td>Diploma (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 3, 4 & 5</td></tr>
<tr><td>IX</td><td>Advance Diploma (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 6 & 7</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Degree (Vocational</td><td>Cumulative performance of level 5, 6 & 7</td></tr>
<tr><td>XI</td><td>P.G. Diploma (Vocational)</td><td>Performance of level 8</td></tr>
<tr><td>XII</td><td>Degree (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 8 & 9</td></tr>
</table>
</td><td>8. प्रदर्शन आधारित प्रमाणन, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम।
<table>
<tr><th>S.No</th><th>Name of Award</th><th>Basis</th><th>Credits</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Certification level 3</td><td>500 hrs of leraning</td><td>30</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Certification level 4</td><td>500 hrs of leraning</td><td>30</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Certification level 5</td><td>1000 hr of learning</td><td>60</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Certification level 6</td><td>1000 hr of learning</td><td>60</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Certification level 7</td><td>1000 hr of learning</td><td>60</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Certification level 8</td><td>1000 hr of learning</td><td>60</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>Certification level 9</td><td>1000 hr of learning</td><td>60</td></tr>
<tr><td>VIII</td><td>Diploma (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 5</td><td>60</td></tr>
<tr><td>IX</td><td>Advance Diploma (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 5 & 6</td><td>120</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Degree (Vocational</td><td>Cumulative performance of</td><td>180</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td><table>
<tr><td></td><td></td><td>level 5, 6 & 7</td><td></td></tr>
<tr><td>XI</td><td>P.G. Diploma (Vocational)</td><td>Performance of level 8</td><td>60 after B Voc</td></tr>
<tr><td>XII</td><td>Degree (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 8 & 9</td><td>120 after B Voc</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>15</td><td>9.1</td><td>9.1. ग्रेडिंग प्रणाली – पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाएगा। शैक्षणिक भाग के प्रत्येक विषय में उम्मीदवार को सभी घटकों, जैसे, टीए, सीटी और ईएलई के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक लेटर ग्रेड से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार शैक्षणिक भाग के प्रत्येक व्यावहारिक विषय के साथ–साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कौशल भाग में, उम्मीदवार को सभी घटकों के संयुक्त प्रदर्शन पर उत्तीर्ण लेटर ग्रेड से सम्मानित किया जाएगा। टीए और ईपीई। इन ग्रेडों का वर्णन अक्षरों द्वारा किया जाएगा जो नीचे दिए गए 'ग्रेड पॉइंट' (जीपी) नामक समकक्ष संख्या के माध्यम से उम्मीदवार के प्रदर्शन का गुणात्मक मूल्यांकन दर्शाते हैं। कोई विषय सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, या किसी पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट अर्जित किया जाता है जब विषय में अक्षर ग्रेड सी या बेहतर प्राप्त किया जाता है।</td><td>9.1. ग्रेडिंग प्रणाली – पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाएगा। शैक्षणिक भाग के प्रत्येक विषय में उम्मीदवार को सभी घटकों, जैसे, टीए, सीटी और ईएलई के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक लेटर ग्रेड से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार शैक्षणिक भाग के प्रत्येक व्यावहारिक विषय के साथ–साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कौशल भाग में, उम्मीदवार को सभी घटकों के संयुक्त प्रदर्शन पर उत्तीर्ण लेटर ग्रेड से सम्मानित किया जाएगा। टीए और ईपीई। इन ग्रेडों का वर्णन अक्षरों द्वारा किया जाएगा जो नीचे दिए गए 'ग्रेड पॉइंट' (जीपी) नामक समकक्ष संख्या के माध्यम से उम्मीदवार के प्रदर्शन का गुणात्मक मूल्यांकन दर्शाते हैं। कोई विषय सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, या किसी पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट अर्जित किया जाता है जब विषय में अक्षर ग्रेड सी या बेहतर प्राप्त किया जाता है।
<table>
<tr><td>Letter Grade (LG)</td><td>A +</td><td>A</td><td>B +</td><td>B</td><td>C +</td><td>C</td><td>D</td><td>F</td><td>I</td><td>W</td></tr>
<tr><td>Grade Point (GP)</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		<table><tr><td>Letter Grade (LG)</td><td>A+</td><td>A</td><td>B+</td><td>B</td><td>C+</td><td>C</td><td>F</td></tr><tr><td>Grade Point (GP)</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>0</td></tr></table>	
16	9.2	9.2. पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली – किसी विशेष विषय में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय के लिए ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। यह पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। अपनाई गई पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली को नीचे समझाया गया है – <table><tr><td>Grades</td><td>Theory</td><td>Practical</td></tr><tr><td>A+</td><td>85 ≤ Marks ≤ 100%</td><td>90 ≤ Marks ≤ 100%</td></tr><tr><td>A</td><td>75 ≤ Marks < 85%</td><td>82 ≤ Marks < 90%</td></tr><tr><td>B+</td><td>65 ≤ Marks < 75%</td><td>74 ≤ Marks < 82%</td></tr><tr><td>B</td><td>55 ≤ Marks < 65%</td><td>66 ≤ Marks < 74%</td></tr><tr><td>C+</td><td>45 ≤ Marks < 55%</td><td>58 ≤ Marks < 66%</td></tr><tr><td>C</td><td>35 ≤ Marks < 45%</td><td>50 ≤ Marks < 58%</td></tr><tr><td>F</td><td>0 ≤ Marks < 35%</td><td>0 ≤ Marks < 50%</td></tr></table>	9.2. पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली – किसी विशेष विषय में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय के लिए ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। यह पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। अपनाई गई पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली को नीचे समझाया गया है – <table><tr><td>Grades</td><td>% Marks Range</td><td>Description of performance</td></tr><tr><td>A+</td><td>90 < Marks ≤ 100</td><td>Outstanding</td></tr><tr><td>A</td><td>80 < Marks ≤ 90</td><td>Excellent</td></tr><tr><td>B+</td><td>70 < Marks ≤ 80</td><td>Very Good</td></tr><tr><td>B</td><td>60 < Marks ≤ 70</td><td>Good</td></tr><tr><td>C+</td><td>50 < Marks ≤ 60</td><td>Average</td></tr><tr><td>C</td><td>40 < Marks ≤ 50</td><td>Satisfactory</td></tr><tr><td>D</td><td>30 < Marks ≤ 40</td><td>Marginal</td></tr><tr><td>F</td><td>0 < Marks ≤ 30</td><td>Fail</td></tr><tr><td>I</td><td></td><td>Incomplete/Absent</td></tr><tr><td>W</td><td></td><td>Withdrawal</td></tr></table>

अटल नगर, दिनांक 14 जून 2024

क्रमांक एफ 3–1/2018/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14–06–2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 14th June 2024

NOTIFICATION

No. F 3-1/2018/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 585/PU/S&O/2008/20035, Dated 16-04-2024 has approved the Subsequent Ordinances No. 128 to 136, 138, 139 and amendment of Ordinance No. 93 and 119 of Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2/ The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3/ The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. PANDEY, Deputy Secretary.

DR.C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No. 128

Under Graduate Programme in Performing and Fine Arts

1. GENERAL:

This ordinance shall apply to 3 or 4 year Under Graduate Programme in Performing and Fine Arts accordingly offered by this University under Faculty of Arts.

"Performing and Fine Arts are the study & making of visual works of art. It can be in the form of dancing, music, fine painting, photography, architecture, pottery, conceptual art, sculpture, music, printmaking, fashion design, interior design, poetry and literature and drama."

The **Bachelor degree in Performing and Fine Arts** can be referred according to the subject chosen as Bachelor of Fine Arts (abbreviated BFA), Bachelor of Visual Arts (abbreviated BVA), Bachelor of Performing Arts (abbreviated BPA), BA (Fine Art),BA (Visual Art), BA (Performing Art) is an undergraduate, or bachelor three/four years degree in performing and fine, Visual Arts. This degree is a qualifying degree for practice of performing and fine art profession in India.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 Senior secondary certificate examination (10+2) of any recognized school education board in any discipline or as per prescribed by the UGC/State Govt.

Or

Equivalent Diploma or Certificate in respective performing and fine arts stream of at least 2 Years duration after 10^{th} or as prescribed by the UGC/State Govt.

2.2 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event

Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION:

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the Departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The Programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination can be Hindi / English /

Regional Language. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work & Project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme:** The structure and lengths of degree programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate degree will be of 3 or 4 year duration, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly) in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after completing 1 year, oran advanced diploma after 2 years of study, or a Bachelor's degree after a 3-year programme. The 4-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.

The 4-year programme may also lead to a degree 'with honours' or 'with Research' if the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study as specified by the University.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to under graduate programme in performing and fine arts provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION :**

In general the teaching session of I, III& V(odd) semester shall run concurrently during July to December, and those of II, IV &VI (even) semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results

of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 **Maximum Duration-**this under graduate programme shall be of maximum duration of 5 years/6 years accordingly.

9.4 **Unit system of Teaching**– The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 **Units of Measurement**– All the teaching and question paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 **Vocational practical Training/Internship/Field work/project work**– It is mandatory for each student to complete a vocational practical training/Internship/**Field work/project work** as per decided by the Board of Study during vacation.

9.7 **Scheme of Teaching**– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this under graduate programme.

9.8 **Attendance**– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, Project and field work held separately in each course of the programme of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.9 **Extra Ordinary Long Absence**– If a student does not participate in the academic/curricular & co-curricular activities of the faculty of Arts of this University/University for a period exceeding two years at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this under graduate programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. EXAMINATIONS :

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over - A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per

criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from out side the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block:

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	**-**	**100%**

(b) Practical Block:

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance	50%
(ii)	End- semester examination	50%
	Total -	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing

distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division With Honours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration

of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 **Programme** wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for under graduate **programme** in performing and fine arts, on the basis of the integrated performance of all the three/four years. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.129

Post Graduate Programme in Performing and Fine Arts

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 2 or 1 year Post Graduate Programme in Performing and Fine Arts accordingly offered by this University under Faculty of Arts.

"Performing and Fine Arts are the study & making of visual works of art. It can be in the form of dancing, music, fine painting, photography, architecture, pottery, conceptual art, sculpture, music, printmaking, fashion design, interior design, poetry and literature and drama."

The **Master degree in Performing and Fine Arts** can be referred according to the subject chosen as Master of Fine Arts (abbreviated MFA), Master of Visual Arts (abbreviated MVA), Master of Performing Arts (abbreviated MPA), MA (Fine Art), MA (Visual Art), MA (Performing Art) is a postgraduate, or master two years degree in performing and fine arts. This degree is a qualifying degree for practice of performing and fine art profession in India.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 For admission in two year post graduate degree, Graduation in corresponding and relevant discipline or as per prescribed by the UGC/State Govt.

2.2 For students completing a 4-year Bachelor's programme with Research or with Honours will be eligible for admission in a 1-year Master's programme (Lateral entry to IInd year)or as per prescribed by the UGC/State Govt.

2.3 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate /Award from any recognized organization.

3. ADMISSION:

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the Departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 40 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination can be Hindi or English. The course will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, Field work and project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme** : The Postgraduate degree will be of 1 or 2 years duration accordingly, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly) in a discipline or field including vocational and professional areas, or a post graduate diploma after completing 1 year, or a Master's degree after a 2-year programme. for students completing a 4-year Bachelor 's programme with Research, there could be a 1-year Master's programme

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to Post graduate programme in performing and fine arts provided the approval of Board of studies of relevant Department is given.

9. **TEACHING SESSION :**

In general the teaching session of I and III (odd) semester shall run concurrently during July to December, and those of II&IV (even) semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration – this Post graduate programme shall be of maximum duration of 4 years.

9.4 Unit system of Teaching – The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement – All the teaching and paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Vocational practical Training/Internship/field work/project – It is mandatory

for each student to complete a vocational practical training/Internship/Field work/Project work as per decided by the board of study during vacation.

9.7 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this Post graduate programme.

9.8 Attendance– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, project and field work held separately in each course of the programme of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.9 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic /curricular & co-curricular activities of the faculty of Arts of this University/University for a period exceeding one years at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this Post graduate programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS**:

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over - A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. Theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in

a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block:

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block:

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance		50%
(ii)	End- semester examination		50%
	Total	-	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2.....m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division WithHonours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division

CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 **Programme** wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for Post graduate **programme**in performing and fine arts, on the basis of the integrated performance of all the two years. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.130

Under Graduate Diploma Programme in Fire Safety Management (DFSM)

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 6 months certificate or 1 year Under Graduate **Diploma Programme in Fire Safety Management** accordingly offered by this University under **Faculty of Engineering& Technology**.

"Diploma in Fire & Safety Management is ***a one-year-long diploma course that deals with the study of risk, management, and measures that can be taken during any fire incident****. ... This course offers the following careers such as Safety Supervisor, Instructor, Safety Officer, Safety consultant, Fireman etc."*

The **Diploma Programme in Fire Safety Management** is a qualifying diploma for practice of **Fire Safety Management** profession in India.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 In order to apply for this particular programme, the eligibility criteria are that the student must have passed 10+2 in science stream or should have any other equivalent qualification from a recognized state or central board or as per prescribed by UGC/State Govt.

2.2 The candidate who has recognized institute 6 month certificate course in Fire Safety after 10+2 is eligible to take admission directly to Semester II (Multiple entry & exit) as per UGC guidelines.

2.3 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this **Programme** will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination will be Hindi/English/Regional Language. The course will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work & Project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme** :The structure and lengths of diploma programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate diploma will be of 1 year duration, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly), or a diploma after completing 1 year.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to under graduate diploma in **Fire Safety Management** provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION:**

In general for academic session July-June the teaching session of Ist semester shall run concurrently during July to December, and those of IInd semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration -This under graduate **Programme** shall be of maximum duration of 3 years.

9.4 Unit system of Teaching – The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure at Question paper.

9.5 Units of Measurement – All the teaching and paper setting shall be doneas per decided by the Board of study and Board of Examination.

9.6 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C.V. Raman University for this under graduate **Programme**.

9.7 Attendance – Candidate appearing as regular student for any semester

examination is required to attend minimum of 75% of the lecture & practical & tutorial classes, Project and Field work held separately in each **course** of the **programme** of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.8 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic curricular and Co-curricular activities of the faculty of Engineering& Technology of this University/University for a period exceeding six months at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this under graduate diploma course. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS**:

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before

commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. Theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block:

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block:

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance	50%
(ii)	End- semester examination	50%
	Total -	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2.....m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division With Honours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 **Programme** wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for under graduate diploma **programme** in Fire Safety Management, on the basis of the integrated performance of all the two semesters. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.131

Under Graduate Diploma Programme in Foreign Language

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 6 months certificate or 1 year Under Graduate **Diploma Programme in Foreign Language** accordingly offered by this University under **Faculty of Arts, Department of Linguistics**.

*"**Diploma in Foreign Language (German, French, Spanish, Arabi, Mandarin etc.)**can be pursued by students as well as professionals who choose to get fluency and hold over a language, which shall further help in their higher studies. **Diploma in Foreign Language** can be done either through various colleges or through individual institutions specialized for the same. **Diploma in Foreign Language** mainly concentrates on reading, listening, writing and speaking proficiency. The exams of **Diploma in Foreign Language** are usually conducted on semester basis or year wise. Learning Foreign Language widens a lot of career options including getting a job as a teacher, translator, working in the field hospitality, media, playing a role of research analyst, engineering jobs in Germany as well as India and many more."*

The **Diploma Programme in Foreign Language** is a qualifying diploma for practice of **Foreign Language** profession in India.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 In order to apply for this particular programme, the eligibility criteria are that the student must have passed 10+2 or should have any other equivalent qualification from a recognized state or central board or as per prescribed by the UGC/State Govt.

2.2 The candidate who has recognized institute 6 month certificate course in German after 10+2 is eligible to take admission directly to Semester II (Multiple entry & exit) as per UGC guidelines.

2.3 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/ college/ University /district/state, National /International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/ NSS/National Level Sports event Participation/ National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION:

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. Seats: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination will be relevant foreign language. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work and Project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme:** The structure and lengths of diploma programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate diploma will be of 1 year duration, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly), or a diploma after completing 1 year.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to under graduate diploma in Foreign Language provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION:**

In general for academic session July-June the teaching session of Ist semester shall run concurrently during July to December, and those of IInd semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration-This under graduate programme shall be of maximum duration of 3 years.

9.4 Unit system of Teaching– The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as

per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement– All the teaching and paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this under graduate programme.

9.7 Attendance– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, project and field work held separately in each course of the programme of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.8 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic curricular and Co-curricular activities of the faculty of Arts of this University/University for a period exceeding six months at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this under graduate diploma course. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS**:

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. Theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in

a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance		50%
(ii)	End- semester examination		50%
	Total	-	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=1}^{n} C_i P_i}{\sum_{i=1}^{n} C_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division With Honours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division

CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12. RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 **Programme** wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for under graduate diploma **programme** in German, on the basis of the integrated performance of all the two semesters. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.132

Post Graduate Programme in Applied Science

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 2 years or 1 year Post Graduate Programme in Applied Science (Physics/Chemistry/Mathematics) accordingly offered by this University under Faculty of Science, Department of Physics/Chemistry/Mathematics accordingly.

*"**Applied physics** is the application of physics to solve scientific or engineering problems. It is usually considered to be a bridge or a connection between physics and engineering. "Applied" is distinguished from "pure" by a subtle combination of factors, such as the motivation and attitude of researchers and the nature of the relationship to the technology or science that may be affected by the work. Applied physics is rooted in the fundamental truths and basic concepts of the physical sciences, but is concerned with the utilization of scientific principles in practical devices and systems, and in the application of physics in other areas of science."*

*"**Applied Chemistry** is the scientific field for understanding basic chemical properties of materials and for producing new materials with well-controlled functions. Applied Chemistry not only provides technologies for applications but also covers a fundamental aspect of chemistry. Currently, as the human society is more complicated, the research fields of Applied Chemistry are expanding to a wider range. To name a few, it will make our society sustainable to create clean and benign materials using energy-saving methods without destroying the natural environment, and incurable diseases will be prevented by new medicines and medical technologies that we can develop. Our department of Applied Chemistry includes chemistry, engineering, physics, earth science, biology, medical science, pharmacy, and so on."*

*"**Applied mathematics** is the application of mathematical methods by different fields such as physics, engineering, medicine, biology, finance, business, computer science, and industry. Thus, applied mathematics is a combination of mathematical science and specialized knowledge. The term "applied mathematics" also describes the professional specialty in which mathematicians work on practical problems by formulating and studying mathematical models. In the past, practical applications have motivated the development of mathematical theories, which then became the subject of study in pure mathematics where abstract concepts are studied for their own sake. The activity of applied mathematics is thus intimately connected with research in pure mathematics."*

The **Master degree in Applied Science (Physics/Chemistry/Mathematics)**can be referred M.Sc. (Applied Physics)/ M.Sc. (Applied Chemistry)/M.Sc. (Applied Mathematics)is a post graduate, or master two years degree in Applied Science. This degree is a qualifying degree for practice of Applied Science

(Physics/Chemistry/Mathematics) profession in India.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 For admission in two year post graduate degree, Graduation in corresponding and relevant discipline [B.Sc.(PCM), BE (Any stream) or any other graduation programme with one relevant subject in all semesters) or as per prescribed by the UGC/State Govt.

2.2 For students completing a 4-year Bachelor's programme with Research or with Honours in relevant field will be eligible for admission in a 1-year Master's programme (Lateral entry to IInd year)or as per prescribed by the UGC/State Govt.

2.3 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the Departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for

required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 40 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination can be Hindi/ English/Regional Language. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work and project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme :** The Postgraduate degree will be of 1 or 2 years duration accordingly, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly) in a discipline or field including vocational and professional areas, or a post graduate diploma after completing 1 year, or a Master's degree after a 2-year programme. for students completing a 4-year Bachelor 's programme with Research, there could be a 1-year Master's programme

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to Post graduate programme in Applied Science provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. TEACHING SESSION :

In general the teaching session of I and III(odd) semester shall run concurrently during July to December, and those of II&IV (even) semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration – this Post graduate programmeshall be of maximum duration of 4 years.

9.4 Unit system of Teaching– The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement – All the teaching and paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Vocational practical Training/Internship/Field/Project work– It is mandatory for each student to complete a vocational practical training/Internship/Field/Project work as per decided by the Board of Study during vacation.

9.7 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C.V. Raman University for this Post graduate programme.

9.8 Attendance – Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, project and field work held separately in each subject of the course of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.9 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic curricular and Co-curricular activities of the faculty of Science of this University/University for a period exceeding one year at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this Post graduate programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS** :

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published

by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external

examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	**-**	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance	50%
(ii)	End- semester examination	50%
	Total -	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10

A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division WithHonours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will

contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 **Programme** wise final merit list shall be declared by the University only after

the main examination of the fourth (final) semester for Post graduate programme in Applied Science, on the basis of the integrated performance of all the two years. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.133

Post Graduate Diploma Programme in Geospatial Technology

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 6 months certificate or 1 year Post Graduate Diploma **Programme in Geospatial Technology** accordingly offered by this University under **Faculty of Arts, Department of Social Science (Geography)**.

"P.G Diploma in Geospatial Technology shall be a one year (2 Semester) programme. This course will appeal to those who require an understanding of research approaches and skills, and importantly an ability to deploy them in their studies or professional lives using geospatial technology and also it will be very helpful for any research area as this will be a main tool in near future for social wellbeing & Research This course will help the student as we will focus on their upcoming professional & Academic structure .On the other hand this course will be a course which brings this expensive subject in a pocket friendly manner to all people & student. So by this approach we also able to serve the education fraternity with a Sustainable approach."

The **P.G.Diploma Programme in Geospatial Technology** is a qualifying diploma for practice of **Geospatial Technology** profession in India.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 In order to apply for this particular programme, the eligibility criteria are that the student must have graduate degree in Geography/Civil Engg. or should have any other equivalent qualification from a recognized State or Central University or as per prescribed by UGC/State Govt.

2.2 The candidate who has recognized institute6 month certificate course in same subject after graduation is eligible to take admission directly to Semester II (Multiple entry & exit) as per UGC guidelines.

2.3 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/ University /district/state, National

/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the Departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the

University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination will be Hindi /English/ Sanskrit/ Regional Language. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work and project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme:** The structure and lengths of diploma programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate diploma will be of 1 year duration, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly), or a diploma after completing 1 year, however, 1 year shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to Post Graduate Diploma in **Geospatial Technology** provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION:**

In general for academic session July-June the teaching session of Ist semester shall run concurrently during July to December, and those of IInd semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration – this post graduate programme shall be of maximum duration of 3 years.

9.4 Unit system of Teaching– The syllabus of each course shall be divided in

units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement – All the teaching and paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this post graduate programme.

9.7 Attendance– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, Project and field work held separately in each subject of the course of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.8 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic curricular and co-curricular activities of the faculty of Arts of this University/University for a period exceeding six months at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this Post Graduate Diploma programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS** :

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as

per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance	50%
(ii)	End- semester examination	50%
	Total -	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in

the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division With Honours

6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts

only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 Programme wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for Post Graduate Diploma programme in Sanatan Karmkand (Anushthan) and Astrology, on the basis of the integrated performance of all the two semesters. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.134

Post Graduate DiplomaProgramme

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to one year or two years Post Graduate **Diploma Programme** accordingly offered by this University under the approved **Faculties and concerned department of Dr. C.V. Raman University**. The New Post Graduate Diploma programme offered by university from time to time will also be governed by these ordinances.

This ordinance shall be in addition to and not in derogation of any previous related ordinances from the effective date this ordinance.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 In order to apply for this particular course, the eligibility criteria are that the student must have passed graduation degree in relevant Stream/Discipline/Programme or should have any other equivalent recognized qualification in relevant Stream/Discipline/Programme or as per prescribed by UGC/State Govt.

2.2 The candidate who has recognized institute6 month certificate programme in relevant course after graduation is eligible to take admission directly to Semester II (Multiple entry & exit) as per UGC guidelines.

2.3 The candidate who has previously completed first year of two year post graduate diploma in relevant stream/discipline after graduation is eligible to take admission directly to Second year (Multiple entry & exit) as per UGC guidelines.

2.4 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state,

National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the Departmental notice Board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the

University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination will beHindi/English/Regional language accordingly. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work and project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme:** The structure and lengths of diploma programmes shall be adjusted accordingly. The postgraduate diploma will be of 1 year/two years duration accordingly, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly), or a diploma after completing 1 year/2years accordingly, however, 1 year/ 2 years accordingly shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to Post Graduate diploma provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION :**

In general for academic session July-June the teaching session of Ist semester shall run concurrently during July to December, and those of IInd semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration-This Post Graduate programme shall be of maximum duration of 3 years / 4 years accordingly.

9.4 Unit system of Teaching– The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement – All the teaching and paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this Post Graduate programme.

9.7 Attendance– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, project and field work held separately in each course of the course of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.8 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic curricular and co-curricular activities of the respective faculty of this University/University for a period exceeding six months at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this Post Graduate diploma programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS** :

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in à particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualify atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. Theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic

Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	**-**	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance		50%
(ii)	End- semester examination		50%
	Total	**-**	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where $C_{i\ is}$ the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$CGPA = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions

7.5≤ CGPA	First Division With Honours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU forretotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 Programme wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for Post Graduate diploma course, on the basis of the integrated performance of all the two semesters. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.135

Under Graduate Programme in Nutrition and dietetics

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 3 or 4 year Under Graduate Programme in Nutrition and dietetics accordingly offered by this University under Faculty of Paramedical Science.

"Nutrition & Dietetics is a sub discipline of Medicine that focuses on all the aspects of food and its effects on human bodies. The programme is focused on the study of food management and promotion of health through healthy food. This essentially involves an advanced learning in ways to enhance the quality of life and overall well-being through dietary modifications. The programme imparts insights into nutritional matters and food habits and elaborates learning about how nutritional habits can improve human health. This course is for individuals who are interested in improving human health and well-being by suggesting a well-organised lifestyle and healthy eating habits. The programme will interest students who are concerned about wellness community and environment. Students who are looking for a career inspired by healthy living and love delving into reasons for unhealthy eating behaviours and seek ways to research rectify and improve the same."

The **Bachelor degree in Nutrition and dietetics** can be referred Bachelor of Science in Nutrition and dietetics abbreviated B.Sc. (Nutrition and dietetics)is an undergraduate, or bachelor three/four years degree in Nutrition and dietetics. This degree is a qualifying degree for practice of Nutrition and Dietitian in India.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 Senior secondary certificate examination (10+2) of any recognized school education board in Science with one subject as Biology, Relevant Vocational discipline or as per prescribed by the UGC/State Govt.

Or

Equivalent Diploma or Certificate in respective Nutrition and dietetics stream of at least 2 Years duration after 10^{th} or as prescribed by the UGC/State Govt.

2.2 Multiple Entry : Students with One year Diploma in relevant field after 10+2 are eligible to take admission directly to Second year (Lateral Entry).

2.3 Students who has previously completed Advanced Diploma in Nutrition and dietetics (Two year diploma after 10+2) are eligible for admission in third year of B.Sc. (Nutrition and dietetics).

2.4 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. Recognized NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award holders.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination can be Hindi/English/ Regional language. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work and project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme** :The structure and lengths of degree programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate degree will be of 3 or 4 year duration, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly) in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after completing 1 year, or an advanced diploma after 2 years of study, or a Bachelor's degree after a 3-year programme. The 4-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.

The 4-year programme may also lead to a degree 'with honours' or 'with Research' if the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study as specified by the University.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to under graduate programme in Nutrition and dietetics provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION :**

In general the teaching session of I, III& V(odd) semester shall run concurrently during July to December, and those of II, IV &VI (even) semester shall run

concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of II[nd] semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration - this under graduate programme shall be of maximum duration of 5 years/6 years.

9.4 Unit system of Teaching– The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement– All the teaching and paper setting shall be done as per structure of decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Vocational practical Training/Internship/Field/Project work– It is mandatory for each student to complete a vocational practical training/Internship/field/Project work as per decided by the Board of Study during vacation.

9.7 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this under graduate programme.

9.8 Attendance– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, project and field work held separately in each course of the course of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.9 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic curricular and co-curricular activities of the faculty of Paramedical Science of this University/University for a period exceeding two years at a

stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this under graduate programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS** :

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. Theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be

required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be

permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance		50%
(ii)	End- semester examination		50%
	Total	-	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test,mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7

C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division With Honours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 Programme wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the sixth/eight(final) semester for under graduate programme in Nutrition and dietetics, on the basis of the integrated

performance of all the three/four years. The merit list shall include the first 3candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.136

Under Graduate Programme in Rural Technology

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 3 or 4 year Under Graduate Programme in Rural Technology accordingly offered by this University under Faculty of Science, Department of Rural Technology.

"This programme is primarily meant for all those who would like to acquire higher education and are interested to work in the field of rural development, Agriculture, Rural Technology. The programme is also meant for those who are already working in the field of Rural Development/Agriculture either in the governmental or the non-governmental sector."

The **Bachelor degree in Rural Technology** can be referred Bachelor of Science in Rural Technology abbreviated B.Sc. (Rural Technology)is an undergraduate, or bachelor three/four years degree in Rural Technology.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 Senior secondary certificate examination (10+2) of any recognized school education board in Science (PCB,PCM), Agriculture, Vocational discipline or as per prescribed by the UGC/State Govt.

Or

Equivalent Diploma or Certificate in respective Rural Technology/Agriculture stream of at least 2 Years duration after 10thor as prescribed by the UGC/State Govt.

2.2 Multiple Entry : Students with One year Diploma in relevant field after 10+2 are eligible to take admission directly to Second year (Lateral Entry).

2.3 Students who has previously completed Advanced Diploma in Rural Technology (Two year diploma after 10+2) are eligible for admission in third year of B.Sc. (Rural Technology).

2.4 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the departmental notice board website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. Seats: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination can be Hindi/ English/regional language. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work and project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme** :The structure and lengths of degree programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate degree will be of 3 or 4 year duration, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly) in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after completing 1 year, oran advanced diploma after 2 years of study, or a Bachelor's degree after a 3-year programme. The 4-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.

The 4-year programme may also lead to a degree 'with honours' or 'with Research' if the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study as specified by the University.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to under graduate programme in Rural Technology provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION :**

In general the teaching session of I, III& V(odd) semester shall run concurrently during July to December, and those of II, IV &VI (even) semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration-this under graduate programme shall be of maximum duration of 5 years/6 years accordingly.

9.4 Unit system of Teaching– The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement– All the teaching and paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Vocational practical Training/Internship/Field/Project work– It is mandatory for each student to complete a vocational practical training/Internship/Field/Project work as per decided by the Board of Study during vacation.

9.7 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for arious semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C.V. Raman University for this under graduate programme.

9.8 Attendance– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, Project & field work held separately in each subject of the programme of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.9 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic/curricular & co-curricular activities of the faculty of Science of this University for a period exceeding two years at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this under graduate programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications

submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by HVC.

10. **EXAMINATIONS** :

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

	(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
	(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
	(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
	(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
		Total	-	**100%**
(b)	**Practical Block**			
	(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance		50%
	(ii)	End- semester examination		50%
		Total	-	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_i p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-

Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division WithHonours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which

the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 programme wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the sixth/eight(final) semester for under graduate programme in Rural Technology, on the basis of the integrated performance of all the three/four years. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance No.138

Under Graduate Diploma Programme

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 3/6 months certificate or 1 year Under Graduate **Diploma Programme** accordingly offered by this University under the approved **Faculties and concerned department of Dr. C.V. Raman University**. The New Diploma programme offered by university from time to time will also be governed by these ordinances.

This ordinance shall be in addition to and not in derogation of any previous related ordinances from the effective date this ordinance.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 In order to apply for this particular course, the eligibility criteria are that the student must have passed 10+2 or should have any other equivalent qualification from a recognized state or central board or as per prescribed by UGC/State Govt.

2.2 The candidate who has recognized 6 month certificate course in same subject after 10+2 is eligible to take admission directly to Semester II (Multiple entry & exit).

2.3 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons :

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 60 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination will be Hindi/English/regional language accordingly. The subject will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes, field work and project work will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme** :The structure and lengths of diploma programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate diploma will be of 1 year duration, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3months/6months (length shall be adjusted accordingly), or a diploma after completing 1 year, however, 1 year shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to under graduate diploma provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION:**

In general for academic session July-June the teaching session of Ist semester shall run concurrently during July to December, and those of IInd semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration-this under graduate programme shall be of maximum duration of 3 years.

9.4 Unit system of Teaching– The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit as per structure of question paper.

9.5 Units of Measurement– All the teaching and paper setting shall be done as per decided by the Board of Study and Board of Examination.

9.6 Scheme of Teaching– The scheme of teaching and examination for various

semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this under graduate programme.

9.7 Attendance– Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture, practical, tutorial classes, project and field work held separately in each course of the course of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.8 Extra Ordinary Long Absence– If a student does not participate in the academic curricular and co-curricular activities of the respective faculty of this University/University for a period exceeding six months at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this under graduate diploma programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months as per decide by HVC.

10. **EXAMINATIONS** :

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies atleast 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT

student in the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance		50%
(ii)	End- semester examination		50%
	Total	-	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation

through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{}$$

$$\sum_{i=l}^{n} NCj$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2.....m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division With Honours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic

program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.

13.2 Programme wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for under graduate diploma programme, on the basis of the integrated performance of all the two semesters. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Ordinance 139

Ordinance for multiple entry and exit, Mobility between Vocational and conventional education system and pursuing two academic programme simultaneously for undergraduate degree and postgraduate degree (CBCS mode)

(As per the "Guideline for Multiple Entry and Exit in Academic Programmes offered in Higher Education Institutions" issued by UGC, New Delhi under National Education Policy 2020)

1. Title &commencement :

1.1 This ordinance shall be called the ordinance for undergraduate degree Programmes and postgraduate degree Programmes(CBCS mode)

1.2 Subject to the overall control of the academic council, the programmes shall be administered by the concerned board of studies.

1.4 The provisions of this ordinance shall be applicable from the academic session 2024-25

1.5 The Provisions of this ordinance shall apply to the Three years/Six semester, four years / Eight- semester, Five years / Ten semester bachelor's Programmes and other similar Undergraduate/post graduate programmes notified by the University time to time.

2. General :-

Flexible learning is important to choose one's academic pathway leading to the award of certificate, diploma, and degree. There are occasions when learners have to give up their education mid-way for various reasons. This ordinance shall allow the learner to settle for a lower level of certification and remove rigid boundaries to ensure zero-year-loss in the event of exiting in between. Flexible learning also facilitates lifelong learning. These objectives can be achieved on the principle of a multiple entry and exit system along with the opportunity of learning from anywhere, anytime.

NEP-2020 would create new possibilities for students to choose and learn the subject(s) of their choice, while changing the Higher Education Institution as per their preference, convenience, or necessity. In order to pave the way for seamless student mobility, the NEP-2020 envisages adjustments in the structure and lengths of degree programmes and an Academic Bank of Credits (ABC) to ensure seamless student mobility between or within degree-granting HEIs through a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfers, and credit redemption to promote distributed and flexible teaching-learning.

The undergraduate degree shall be of either a three- or four-year duration, with multiple entry and exit options within this period, with appropriate certifications. For example, a certificate after completing one year in a discipline or field including vocational and professional areas; a diploma after two years of study; or a Bachelor's degree after a three-year programme. The four-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, is the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on major and minor subjects as per the student's preference. The four-year programme shall also lead to a degree with Honors/Research, if the student completes a rigorous research project in the major area(s) of study as specified by the University.

For the Master's programmes, the HEI will have flexibility to offer different design:

a. A two-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the three-year Bachelor's programme.

b. A one-year Master's programme for students who will complete a four-year Bachelor's programme with Research/Honors.

Allowing the students to pursue two academic programmes simultaneously envisaged in the National Education Policy - NEP 2020 which emphasizes the need to facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes.

3. Objectives :

This ordinance will serve the following objectives:

3.1 Remove rigid boundaries and facilitate new possibilities for learners.

3.2 Curtail the dropout rate and improve GER

3.3 Offer creative combinations of disciplines of study that would enable multiple entry and exit points.

3.4 Offer flexibility in curriculum and novel course options to students in addition to discipline specific specializations.

3.5 Offer different designs of Master programme.

3.6 Enable credit accumulation and transfer along with provision of evaluation and validation of non-formal and informal learning for the award of a degree and encourage lifelong learning; and

3.7 Facilitate encashing credits earned when the learner resumes his/her programmes of study.

3.8 No hard separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among, and silos between different areas of learning;

3.9 Enabling an individual to study one or more specialized area of interest at a leap level, and also develop, character ethical and constitutional values, curiosity, intellectual scientific temper, creativity, sprit at service.

3.10 Offering the students, a range of disciplines including sciences, social sciences, humanities, languages, as well as professional, technical, and vocational subjects to make them thoughtful, well-rounded, and creative individuals.

3.11 Preparing students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence.

4. Admissions Paths for First Degree :

4.1 Admission rules and guidelines for admission to these programmes will be framed by the University as per the guidelines provided by UGC/Regulatory bodies from time to time.

4.2 Students who have successfully completed Grade 12 school leaving Certificate from Board of Secondary Education Chhattisgarh Raipur or/and equivalent examination from any other board recognised by the state government/University will be eligible for admission to these undergraduate/postgraduate programmes.

4.3 The admission shall be made on merit calculated on the basis of criteria notified by the University/State govt, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory/regulatory bodies concerned and taking into account the reservation policy issued by the Government from time to time.

4.4 Student enrolment in a programme shall be restricted to the seats allotted by the University.

5. Operational Details for the undergradualte programme :

5.1 To enable multiple entry and exit points in the academic programmes, qualifications such as certificate, diploma, degree are organized in a series of levels in an ascending order from level 5 to level 10. Level 5 represents certificate and level 10 represents research degree (Table 1). The four year undergraduate programme may comprise courses under many categories. Some of these include:

- disciplinary/interdisciplinary major (40-56 credits)
- disciplinary/interdisciplinary minor (20-28 credits)
- vocational studies (12-18 credits)

- field projects/internship/apprenticeship/community engagement and service (24- 32 credits).

Qualification Type and Credit Requirements are given in **Table. 1**. The entry and exit options for students, who enter the undergraduate programme, are as follows:

5.2 First Year

Entry 1: The entry requirement for Level 5 is Secondary School Leaving Certificate obtained after the successful completion of Grade 12. A programme of study leading to entry into the first year of the Bachelor's degree is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment at the secondary level of education specified in the programme admission regulations. Admission to the Bachelor degree programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake and complete a Bachelor's degree programme.

Exit 1: A certificate will be awarded when a student exits at the end of year 1 (Level 5). The first year of the undergraduate programme builds on the secondary education and requires 36-40 credits during the first year of the undergraduate programme for qualifying for an undergraduate certificate.

5.3 Second Year

Entry 2. The entry requirement for Level 6 is a certificate obtained after completing the first year (two semesters) of the undergraduate programme. A programme of study leading to the second year of the Bachelor's degree is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake and complete a Bachelor's degree programme.

Exit 2: At the end of the 2nd year, if a student exits, a diploma shall be awarded (Level 6). A diploma requires 72-80 credits from levels 5 to 6, with 36-40 credits at level 6.

5.4 Third Year

Entry 3. The entry requirement for Level 7 is a diploma obtained after completing two years (four semesters) of the undergraduate programme. A programme of study leading to the Bachelor's degree is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake and complete a Bachelor's degree programme.

Exit 3: On successful completion of three years, the relevant degree shall be awarded (Level 7). A Bachelor's degree requires 108-120 credits from levels 5 to 7, with 36-40 credits at level 5, 36-40 credits at level 6, and 36-40 credits at level 7.

5.5 Forth Year

Entry 4. An individual seeking admission to a Bachelor's degree (Honours/Research) (Level 8) in a specified field of learning would normally have completed all requirements of the relevant three-year bachelor degree (Level 7). After completing the requirements of a threeyear Bachelor's degree, candidates who meet a minimum CGPA of 7.5 shall be allowed to continue studies in the fourth year of the undergraduate programme to pursue and complete the Bachelor's degree with Research.

Exit 4: On the successful completion of the fourth year, a student shall be awarded a degree (Honours/Research). A Bachelor's degree (Honours/Research) requires a total of 144-160 credits from levels 5 to 8, with 36-40 credits at level 5, 36-40 credits at level 6, and 36-40 credits at level 7, and 36-40 credits at level 8.

6 **Admission paths for the postgraduate programme:**

6.1 • Students shall be admitted to a two-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the three-year Bachelor's programme

• Students completing a four-year Bachelor's programme with Honours/Research, may be admitted to a one-year Master's programme

• There may be an integrated five-year Bachelor's/Master's programme.

6.2 Entry 5: The entry requirement for Level 9 is

• A Bachelor's Degree (Honours/Research) for the one-year/two-semester Master's degree programme.

• A Bachelor's Degree for the two-year/four-semester Master's degree programme.

• A Bachelor's Degree for the one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme.

A programme of study leading to the Master's degree and Post-Graduate Diploma is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake postgraduate study in a specialist field of enquiry.

Exit 5: For postgraduate programmes, there shall only be one exit point for those who join the two-year Master's programme, that is, at the end of the first year of the Master's programme. Students who exit after the first year shall be awarded the Post-Graduate Diploma.

6.3 Credit Requirements

- A one-year/two-semester Master's degree programme builds on a Bachelor's degree with Honours/Research and requires 36-40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree with Honours/Research.
- The two-year/four-semester Master's degree programme builds on a Bachelor's degree and requires a total of 72-80 credits from both years of the programme, with 36-40 credits in the first year and 36-40 credits in the second year of the programme at level 9.
- A one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme builds on a Bachelor's degree and requires 36-40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree.

* A student will be allowed to enter/re-enter only at the odd semester and can only exit after the even semester. Re-entry at various levels as lateral entrants in academic programmes should be based on the earned credits and proficiency test records.
* The validity of credits earned will be to a maximum period of seven years or as specified by the Academic Bank of Credit ABC. The procedure for depositing credits earned, its shelf life, redemption of credits, would be as per UGC (Establishment and Operationalization of Academic Bank of Credits (ABC) scheme in Higher Education) Regulations, 2021 and amendments from time to time.

Table-I

Qualification Type and Credit Requirements		
Levels	**Qualification title**	**Credit requirements**
Level 5	Undergraduate Certificate (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first year (two semesters) of the undergraduate programme. (Programme duration: first year or two semesters of the undergraduate programme)	36-40
Level 6	Undergraduate Diploma (in the field of learning/discipline) for those who exit after two years (four semesters) of the undergraduate programme (Programme duration: First two years or four semesters of the undergraduate programme)	72-80
Level 7	Bachelor' Degree (Programme duration: Three years or six semesters).	108-120
Level 8	Bachelor' Degree (Honours/Research) (Programme duration: Four years or eight semesters).	144-160
Level 8	Post-Graduate Diploma for those who exit after the successful completion of the first year or two semesters of the two-year Master's degree programme). (Programme duration: One year or two semesters)	36-40
Level 9	Master's Degree (Programme duration: Two years or four semesters after obtaining a Bachelor's degree).	72-80
Level 9	Master's Degree (Programme duration: One year or two semesters after obtaining a four-year Bachelor's Degree (Honours/Research).	36-40
Level 10	Doctoral Degree	Minimum prescribed credits for course work and a thesis with published work

7. Synchronization of General Education with Skill and Vocational Education :

7.1 A framework of possible pathways synchronizing general education with vocational and skill education is as following :

Framework for Synchronization of General Education with Skill and Vocational Education									
ASSESSMENT FRAMEWORK	**LEVEL**	**CREDITS**	**SKILLS**	**VOCATIONAL TECHNICAL**	**ACCREDITATION OF PRIER EXPERIENTIAL LEARNING**	**RE-ENTRY**	**ACADEMIC**	**SEMESTERS**	**EXIT OPTION**
LEVEL BASED ON EXPECTED LEARNING OUTCOME	9	72-80	All Qualifications are quality assured as per the provisions enumerate in MoE Skill Assessment Matrix for Vocational Advancement of Youth (SAMVAY).				Master's Degree (*Programme duration: Two years of Four semesters after obtaining a Bachelor's degree)	Two-years (Four-semesters)	
	9	36-40					Master's	One-year	

							Degree (Programme Duration: One year or Two Semesters after obtaining a four year Bachelor's degree- Honours/Research.	(Two-semesters)	
	9	180-200					Integrated Bachelor's – Master's Degree programme	Five-years (Ten-semesters)	
	8	36-40					Post-Graduate Diploma for those who exit after successful completion of the first year of two semesters of the two years Master's degree programme.	One-year (Two-semesters)	
	8	144-160					Bachelor's Degree (Honours/Research). (Programme duration : Four years of eight semesters).	Four-years (Eight-semesters)	
	7	108-120					Bachelor's Degree (Programme duration: Three years of six semesters).	Three-years (Six-semesters)	
	6	72-80	Diploma	Diploma			Undergraduate Diploma (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first two years (four semesters) of undergraduate programme (Programme duration: First two years of four semesters of the under graduate	Two-years (Four-semesters)	

							programme)		
	5	36-40	Skill Certificate(S)	Vocational & Training Certificate			Undergraduate Certificate (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first year (two semesters) of undergraduate programme. (Programme duration: First year of two semesters of the undergraduate programme).	One-year (Two-semesters)	

7.2 Assessment of general education and skill education components :

The assessment shall be on the basis of learning outcomes for seamless lateral mobility across the academic programmes.

- The general education component will be assessed by the University as per the prevailing standards and procedures.
- The Skill component of the course will be generally assessed by the respective Sector Skill Councils (SSC). In case, there is no SSC for a specific trade, the assessment may be done by an allied Sector Council or the Industry partner (Skill Knowledge Provider) or a recognized Skill University. Further, if the SSC in the concerned/relevant trade has no approved Qualification Pack/set of competencies, which can be mapped progressively or due to any other reason the SSC expresses its inability to conduct the assessment or cannot conduct the skill assessment in stipulated time frames as per an academic calendar, the institutions may conduct the skill assessment through a Skill Assessment Board. The Skill Assessment Board may have the Vice-Chancellor/ Principal/Director/Nodal Officer/Coordinator of the programme/Centre, representatives of the partner industry(s), one nominee of the Controller of Examination or his/her nominee of the university and at least one external expert.
- One credit means the standard methodology of calculating one hour of theory or one hour of tutorial or two hours of laboratory work, per week for a duration of a semester (13-15 weeks) resulting in the award of one credit; which is awarded by a higher educational institution on which these regulations apply; and, Credits' for internship shall be one credit per one week of internship, subject to a maximum of six credits.

8. Operational procedure for pursuing two academic programme Simultaneously :

8.1. A student can pursue two full time academic programmes in physical mode provided that in such cases, class timings for one programme do not overlap with the class timings of the other programme other than Ph.D..

8.2. A student can pursue two academic programmes, one in full time physical mode and another in Open and Distance Learning (ODL)/Online mode/other mode; or up to two ODL/Online programmes/other mode programmes simultaneously other than Ph.D.

9. **EXAMINATIONS** :

9.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

9.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

9.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

9.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

9.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies at least 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in the courses concerned at subsequent examinations.

9.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

9.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

9.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

9.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she

will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

9.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

9.11 Dr. C.V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the university.

10. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

10.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

10.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is D.** However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from out side the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance		50%
(ii)	End- semester examination		50%
	Total	-	**100%**

10.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4

F	$0 \leq$ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_i p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th}course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th}course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

10.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

10.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be

considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

10.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division With Honours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

10.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

10.2 Transcript

`The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

11. Power to remove any difficulty:

Notwithstanding what is contained in the Ordinance, Chairperson, Academic Council /Executive Council may in exceptional circumstances and on the recommendations of the Board of Studies concerned or an appropriate Committee on the merits of each individual case consider, and for reasons to be recorded, relaxation of any of the provisions.

DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Revised Ordinance No. - 93

Post Graduate Programme in Arts

1. GENERAL :

This ordinance shall apply to 2 or 1 year Post Graduate Programme in Arts accordingly offered by this University under Faculty of Arts.

The **Master degree in Arts** can be referred as M.A. is a post graduate, or master two years degree in the subject accordingly.

This ordinance shall be in addition to and not in derogation of any previous related ordinances from the effective date.

If there is a necessity for some alterations in criterion or rules and regulations recommended by academic council of university during the conduction of programme, the decision of Vice-Chancellor shall be final.

2. Eligibility –

2.1 For admission in two year post graduate degree, Graduation in corresponding and relevant discipline or as per prescribed by the UGC/State Govt.

2.2 For students completing a 4-year Bachelor's programme with Research or with Honours will be eligible for admission in a 1-year Master's programme (Lateral entry to IInd year) or as per prescribed by the UGC/State Govt.

2.3 Admission will be offered on priority to those students who have participated and represented his/her school/college/University /district/state, National/International level competition/Event or any other equivalent recognized competition/Event. NCC/NSS/National Level Sports event Participation/National Bravery award/Any other valid equivalent certificate/Award from any recognized organization.

3. ADMISSION :

3.1 The University will issue admission notifications in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every cycle.

3.2 Admission of this programme will be made either on merit (to be defined by the University) in qualifying examination or in the written entrance test held for the purpose as and when required.

3.3 The list of candidates selected for admission will be displayed on the Departmental notice board, website/or the students will be informed directly of their admission.

3.4 The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates, however, must produce the Mark sheets/Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

3.5 The application form may be rejected due to any of the following reasons:

3.5.1 The candidate does not fulfill the eligibility conditions.

3.5.2 The fees are not enclosed.

3.5.3 The application form is not signed by the candidate and his/her parent guardian, wherever required.

3.6 Registration number will be assigned to the student by the University after verification & submission of all the necessary documents and required fees.

3.7 Admission of various categories of students shall be as per relevant ordinance.

4. **Seats**: Initially 40 seats. Seats may be increase/decrease after the recommendation of competent authority of the University and to inform CGPURC.

5. **Fees**: The programme fees will be decided by the Board of Management of the University and approval of CGPURC.

6. **Medium**: The medium of instructions and examination can be Hindi, English or relevant language. The course will be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

7. **Duration and Structure of the programme :** The Postgraduate degree will be of 1 or 2 years duration accordingly, with multiple entry and multiple exit (as per UGC guidelines) options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 3 months/6 months (length shall be adjusted accordingly) in a discipline or field including vocational and professional areas, or a post graduate diploma after

completing 1 year, or a Master's degree after a 2-year programme. for students completing a 4-year Bachelor 's programme with Research, there could be a 1-year Master's programme

8. **Transfer Candidate**: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to Post graduate programme in Arts provided the approval of Board of studies of relevant department is given.

9. **TEACHING SESSION:**

In general the teaching session of I and III (odd) semester shall run concurrently during July to December, and those of II & IV (even) semester shall run concurrently during January to June each year.

For academic session January-December the teaching session of Ist semester shall run concurrently during January to June, and those of IInd semester shall run concurrently during July to December each year.

9.1 There shall be teaching in every semester as per norms.

9.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 10.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.

9.3 Maximum Duration - Post graduate programme shall be of maximum duration of 4 years.

9.4 Unit system of Teaching – The syllabus of each course shall be divided in units. The theory examination papers shall contain questions from each unit or as per structure of question papers.

9.5 Units of Measurement – All the teaching and paper setting shall be done as per decided by Board of study and Board of examination.

9.6 Vocational practical Training/Assignments/Internship/field work/project (applicable accordingly) – It is mandatory for each student to complete a vocational practical training/Assignments/Internship/field work/project as per decided by Board of Study.

9.7 Scheme of Teaching – The scheme of teaching and examination for various

semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C. V. Raman University for this Post graduate programme.

9.8 Attendance – Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture & practical & tutorial classes and project & Field work held separately in each **course** of the **programme** of study. A deficiency up to 15% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C. V. Raman University on satisfactory reasons.

9.9 Extra Ordinary Long Absence – If a student does not participate in the academic curricular and co-curricular activities of the faculty of Arts of this University/University for a period exceeding one years at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of this Post graduate programme. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or backlog examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months or as per decided by the HVC.

10. **EXAMINATIONS**:

10.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical, project work and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examination will generally be held as per the Academic Calendar published by the University.

10.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers, laboratory practical and project of all semesters.

10.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days or as per decided by the HVC.

10.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.

10.5 Candidate will be promoted to the next semester if he/she qualifies at least 40% of the course of the semester. A failed candidate may re-appear as AT/KT student in

the courses concerned at subsequent examinations.

10.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination or as per Academic Calendar published by the University.

10.7 Preparation Leave – A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester or as per Academic Calendar published by the CVRU.

10.8 Carry Over - A candidate shall be allowed to carry over all the courses, i.e. Theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall be required to clear the next ESE only in those Courses (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will be eligible to reappear to TA (Teacher's Assessment).

10.10 Mode of examination shall be blended (Offline/Online) depending upon the circumstances.

10.11 Dr. C. V. Raman University shall notify exam centers time to time as per criterion and procedures defined by concerned authority of the University.

11. Award of Credits/Grades and Exam Scheme

11.1.1 Each course, along with its weightage in terms of units and equivalent credits, shall be recommended by the concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(i) The distribution of weightage/marks for each component shall be recommended by the respective Board of Studies and approved by Academic Council.

(ii) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorial work, practical, home assignment, class tests, mid-semester tests, field work, seminars, quizzes, end- semester examinations and regularity, as proposed by respective Board of Studies and approved by Academic Council.

11.1.2 For the award of degree and promotion to higher semester minimum **Cumulative Grade Point Average (CGPA)** required is 5.0.

(i) To pass a particular **course** of the **programme** the **minimum required grade is**

D. However, the candidate should also separately score minimum of grade D in external and internal components of end semester examinations of theory and practical separately of a course. For practical examinations one external examiner from outside the institute shall always be there.

(ii) If a candidate has passed all the **courses** of applicable semesters but has failed to score a minimum **CGPA of 5.0** as per requirement, such a candidate shall be permitted to improve requisite grade point by reappearing in **maximum of three theory/practical courses,** in the ensuing examination (theory and practical of a subject shall be treated as separate subjects.)

(iii) Other than the provision of clause (ii) above, a candidate shall not be permitted to reappear in that examination, for improvement of division/Grade or for any other purpose.

(a) Theory Block

(i)	Attendance, Aptitude & Discipline	-	20%
(ii)	Class Tests/ Assignments /Quizzes	-	10%
(iii)	Minor (Mid- semester test (One))	-	20%
(iv)	Minor(End-semester examination)	-	50%
	Total	-	**100%**

(b) Practical Block

(i)	Lab work and performance, quizzes, assignments and attendance	50%	
(ii)	End- semester examination	50%	
	Total	-	**100%**

11.1.3 Practical training, and project work shall be treated as practical courses.

(i) In each semester, there will normally be one mid semester test and 4 class tests. Only in emergent cases number of tests could be reduced to two with approval of the Vice Chancellor.

(ii) The grades awarded to a student shall depend upon his continuous evaluation through performance in various examinations, assignments, quizzes, laboratory work, class work, class test, mid semester test, end semester exam and regularity. The grades to be used and their numerical equivalents are as under:

Credit Based Grading System

Grades	% Marks Range	Description of performance	Grade Point
A+	90< Marks ≤ 100	Outstanding	10
A	80< Marks ≤ 90	Excellent	9
B+	70< Marks ≤ 80	Very Good	8
B	60< Marks ≤ 70	Good	7
C+	50< Marks ≤ 60	Average	6
C	40< Marks ≤ 50	Satisfactory	5
D	30< Marks ≤ 40	Marginal	4
F	0 ≤ Marks ≤ 30	Fail	0
I		Incomplete/Absent	0
W		Withdrawal	0

(iii) The Semester Grade Points Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated as under:

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} c_l p_i}{\sum_{i=l}^{n} c_i}$$

Where C_i is the number of credits offered in the i^{th} course of a Semester for which SGPA is to be calculated, P_i is the corresponding grade point earned in the i^{th} course, where i = 1,2,……n, are the number of courses in that semester.

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=l}^{n} SGjNCj}{\sum_{i=l}^{n} NCj}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j_{th} semester, where j = 1,2……m, are the number of semesters in that programme.

11.1.4 Credit earned in particular course will be

Credits earned = Grade point X Total Credits assigned to particular course

11.1.5 Condonation of Deficiency

Deficiency up to seven marks can be condoned to the best of the advantage of the student for passing the examinations. The deficiency can be condoned in not more than two courses (theory and practical) of the same course shall be considered as two separate courses, for the purpose of awarding grace marks) in a each semester.

(i) One grace mark will be given to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-Chancellor.

11.1.6 Award of Division

Division shall be awarded only after the final semester and final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the four years as per followings details.

CGPA Score	Divisions
7.5≤ CGPA	First Division WithHonours
6.5 ≤CGPA < 7.5	First Division
5.0 ≤CGPA < 6.5	II Division
CGPA<5.0	Fail

11.1.7 The conversion from grade to an equivalent percentage in a given academic program shall be according to the following formula applicable.

$$\text{Percentage marks scored} = \frac{\text{CGPA}^{\text{Obtained}} \times 100}{10}$$

11.2 Transcript

The transcript issued to a student after completion of the **programme** will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

12 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

12.1 Retotaling :

12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one or two or three theory papers.

12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.

12.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re- examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2 Revaluation:

12.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.

12.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.

12.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

12.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practical's.

13 MERIT LIST:

13.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been

declared as passed in first attempt.

13.2 **Programme** wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the final semester for Post graduate **programme** in Arts, on the basis of the integrated performance of all the two years. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.

13.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

14 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

Dr. C. V. Raman University
Kargi Road Kota Bilaspur(C.G.)
Ordinance No. 119 (AMENDMENTS)

Vocational Education Course(s) and Skill Knowledge Provider (SKP) under National Skill Qualification Frame work (NSQF).

S.No.	Clause No./Title to be amended	Existing Clause/Title	Amendments
1	Introduction	Dr. C.V.Raman University, Kota Bilaspur (C.G.) awards the vocational certification level from **III to VII**, Diploma (Vocational), Advance Diploma (Vocational) or a Vocational Degree on stream based sector specific specializations of Vocational Educational programme.	Dr. C.V.Raman University, Kota Bilaspur (C.G.) awards the vocational certification level from **III to IX**, Diploma (Vocational), Advance Diploma (Vocational) or a Vocational Degree or Post Graduate Diploma (Vocational) or a Post Graduate Vocational Degree on stream based sector specific specializations of Vocational Educational programme.
2	1.1, 1.2, 1.3	1.1 Certification level, Diploma, Advance diploma or vocational degree shall be based on stream based sector specific specialization. 1.2 Each certification level requires 1000 hours of education and training per annum. For the vocational stream leading to Degree or a Diploma or a Advance Diploma, there hours shall have two components – Vocational (skill) and academic one. The Vocational component will go on increasing as the level of certification increase. 1.3 The skill modules or vocational content at a certification level, could be a single skill or a group of skills of	1.1 Certification level, Diploma, Advance diploma or vocational degree, Post Graduate Diploma (Vocational), Post Graduate Vocational Degree shall be based on stream based sector specific specialization. 1.2 Each certification level requires 1000 hours equivalent to 60 credits of education and training per annum. For the vocational stream leading to Degree or a Diploma or a Advance Diploma, there hours shall have two components – Vocational (skill) and academic one. The Vocational component will go on increasing as

		number of hours prescribed.	the level of certification increase. 1.3 The skill modules or vocational content at a certification level, Diploma, Advance diploma or vocational degree, Post Graduate Diploma (Vocational), Post Graduate Vocational Degree could be a single skill or a group of skills of number of hours prescribed.
3	2.1	2.1 A student entering a vocational stream from general stream can enter a certain level provided the skill required at that level are acquired from a registered SKP.	2.1 A student entering a vocational stream from general stream can enter a certain level provided the skill required at that level are acquired from a registered Skill Knowledge Provider as per UGC guidelines for providing Skill based education under National Skills Qualifications Framework (NSQF).
4	2.4	New addition	A student already acquired NSQF certification level 7 in a particular Industry sector and opted admission in the M.Voc. Degree programme or in the Post Graduate Diploma (Vocational) in the same trade with job role for which he/she was previously certified.
5	2.5	2.5 A candidate shall have freedom to choose either a vocational stream or a conventional stream to reach graduation level. In addition, a candidate shall have freedom to move from vocational stream to current formal higher education stream or vice versa at various.	2.5 A candidate shall have freedom to choose either a vocational stream or a conventional stream to reach graduation level. In addition, a candidate shall have freedom to move from vocational stream to current formal higher education stream or vice versa at various stages as per UGC Guidelines for Multiple Entry and Exit in Academic Programmes offered in Higher Education Institutions.
6	2.6.1	New addition after the table	As per UGC guideline B.Voc. programme is designed with multiple entry and exit option and horizontal and vertical mobility. Students having two years ITI

			diploma after 10th are eligible to take admission in B.Voc. in relevant sector. Students having one year diploma in Vocational/ Professional/ Technical programme after 10+2 are eligible to take admission in second year of B.Voc. in relevant sector, for example a student with Diploma in Computer Application is eligible for direct admission to second year of B.Voc. (IT/ITeS sector). Students having three year diploma in vocational are eligible to take admission in second year of B.Voc. in relevant sector, for example a student with Diploma in Electrical (Polytechnic) is eligible for direct admission to second year of B.Voc. (Advanced Diploma) in Electrical sector. Students having one year PG diploma in Vocational/ Professional/ Technical programme after graduation are eligible to take admission in second year of M.Voc. in relevant sector, for example a student with P.G. Diploma in Computer Application is eligible for direct admission to second year of M.Voc. (IT/ITeSsector).
7	3.2, 3.5, 3.6	3.2 There shall be Class Test (CT), Teacher's Assessment (TA) and End semester Examination (ESE) and End semester Practical Examination (ESE) for academic part of vocational course. 3.5 For the evaluation of End level Practical Exam in skill part one external examiner shall always be there from outside the SKP (Skill Knowledge Provider) and one internal examiner	3.2 There shall be Class Test (CT), Teacher's Assessment (TA) and End semester Examination (ESE) and End semester Practical Examination (ESE) along with continues valuation for academic part of vocational course. 3.5 For the evaluation of End level Practical Exam in skill part one external examiner shall always be

<table>
<tr><td></td><td></td><td>from the SKP. Similarly, for the conduction of the Practical examination of subjects in Academic part, one internal examiner from the institution and one external examiner outside from institution shall be appointed.
3.6 There will be at least two class tests in each subject of the academic part of vocational course. Teacher's assessment in each subject of theory and/or practical of academic part and each practical of skill part of vocational course will depend upon home assignment, quizzes, take home test and viva-voce etc. whereas Vocational Skill test will be done on actual job work and skill performance.</td><td>there from outside the SKP (Skill Knowledge Provider) and one internal examiner from the SKP. Similarly, for the conduction of the Practical examination of courses in Academic part, one internal examiner from the institution and one external examiner outside from institution shall be appointed.
3.6 There will be at least two class tests in each course of the academic part of vocational programme. Teacher's assessment in each subject of theory and/or practical of academic part and each practical of skill part of vocational programme will depend upon home assignment, quizzes, take home test, online skill test and viva-voce etc. whereas Vocational Skill test will be done on actual job work and skill performance.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>4.1.1</td><td>4.1.1One credit would mean equivalent of 15 periods of 60 minute each, for theory of workshops/labs and tutorials;</td><td>4.1.1One credit would mean equivalent of 15 periods of 60 minute each, for theory or 30 hrs. of workshops/labs and tutorials;</td></tr>
<tr><td>9</td><td>4.2</td><td>4.2 The Suggested credits for each of the year are as follows:
<table>
<tr><th>Level</th><th>Entry Qualification</th><th>Skill Component Credits</th><th>General Education Credits</th><th>Normal Calendar Duration</th><th>Exit Point/ Award</th><th>Certification Body</th></tr>
<tr><td>III</td><td>XI</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td>XII</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>V</td><td>Year 1</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Year 2</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Advance Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>Year 3</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>B.oc. Degree</td><td>CVRU</td></tr>
</table></td><td>4.2 The Suggested credits for each of the year are as follows:
<table>
<tr><th>Level</th><th>Entry Qualification</th><th>Skill Component Credits</th><th>General Education Credits</th><th>Normal Calendar Duration</th><th>Exit Point/ Award</th><th>Certification Body</th></tr>
<tr><td>III</td><td>XI</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td>XII</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>V</td><td>Year 1</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Year 2</td><td>36</td><td>24</td><td>One Year</td><td>Advance Diploma (Vocational)</td><td>CVRU</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Year 3</td><td>36</td><td>24</td><td>One Yea</td><td>B.oc. Degre</td><td>CV</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Addition of two more rows</td><td>
<table>
<tr><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td>r</td><td>e</td><td>R
U</td></tr>
<tr><td>V
I
I
I</td><td>Year 1 (PG)</td><td>36</td><td>24</td><td>One YE ar</td><td>P.G. Diplo ma (Vocat ional)</td><td>C
V
R
U</td></tr>
<tr><td>I
X</td><td>Year 2 (PG)</td><td>36</td><td>24</td><td>One YE ar</td><td>M.Voc . P.G. Degre e</td><td>C
V
R
U</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>4.3.4 (addition)</td><td>New addition</td><td>Candidates who have passed graduation in the Vocational / Relevant Academic Stream are eligible to take admission to the M. Voc. programme Or P.G. Diploma (Vocational).</td></tr>
<tr><td>11</td><td>4.3.5 (addition)</td><td>New addition</td><td>Candidates who have passed the Vocational Programme at the NSQF level 7 through recognised institution are eligible to take admission to the M. Voc. programme Or P.G. Diploma (Vocational).</td></tr>
<tr><td>12</td><td>4.3.6 (addition)</td><td>New addition</td><td>Candidates having Post Graduate diploma in relevant stream or Cleared NSQF level VIII are eligible to take admission directly to the Year 2 of the M. Voc. programme.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>4.3 (addition after last paragraph)</td><td>New addition</td><td>Knowledge of Skill Level VII will be required to enter into a Post graduate Degree Programme and VIII Level required for Lateral Entry to final year.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>8</td><td>
<table>
<tr><td>S.No.</td><td>Name of Award</td><td>Basis</td></tr>
<tr><td>I</td><td>Certification level 3</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Certification level 4</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Certification level 5</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Certification level 6</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Certification level 7</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Certification level 8</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>Certification level 9</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>VIII</td><td>Diploma (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 3, 4 & 5</td></tr>
<tr><td>IX</td><td>Advance Diploma (Vocational)</td><td>Cumulative performance of level 6 & 7</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Degree (Vocational</td><td>Cumulative</td></tr>
</table>
</td><td>8. प्रदर्शनआधारितप्रमाणन, डिप्लोमा, एडवांसडिप्लोमाऔरडिग्री, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम।
<table>
<tr><td>S.No</td><td>Name of Award</td><td>Basis</td></tr>
<tr><td>I</td><td>Certification level 3</td><td>500 hrs of leraning</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Certification level 4</td><td>500 hrs of leraning</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Certification level 5</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Certification level 6</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Certification level 7</td><td>1000 hr of learning</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>Certification level 8</td><td>1000 hr of</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			performance of level 5, 6 & 7
		XI	P.G. Diploma (Vocational)	Performance of level 8
		XII	Degree (Vocational)	Cumulative performance of level 8 & 9

		learning	
VII	Certification level 9	1000 hr of learning	60
VIII	Diploma (Vocational)	Cumulative performance of level 5	60
IX	Advance Diploma (Vocational)	Cumulative performance of level 5 & 6	120
X	Degree (Vocational	Cumulative performance of level 5, 6 & 7	180
XI	P.G. Diploma (Vocational)	Performance of level 8	60 after B Voc
XII	Degree (Vocational)	Cumulative performance of level 8 & 9	120 after B Voc

15	9.1	**Grading System** - Absolute grading system will be followed. In every subject of academic part the candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., TA, CT and ELE. Similarly in every practical subject of academic part as well as skill part of vocational course, the candidate will be awarded a letter grade passed on one's combined performance of all components e.g. TA and EPE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A subject is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the subject.	**Grading System** - Absolute grading system will be followed. In every subject of academic part the candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., TA, CT and ELE. Similarly in every practical subject of academic part as well as skill part of vocational course, the candidate will be awarded a letter grade passed on one's combined performance of all components e.g. TA and EPE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A subject is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the subject.

Letter Grade (LG)	A+	A	B+	B	C+	C	F
Grade Point (GP)	10	9	8	7	6	5	0

Letter Grade (LG)	A+	A	B+	B	C+	C	D	F	I	W
Grade Point (GP)	10	9	8	7	6	5	4	0	0	0

<table>
<tr>
<td>16</td>
<td>9.2</td>
<td>9.2 Absolute Grading System – Grades will be awarded for every subject taking into consideration of marks obtained by the students in a particular subject. This will be done on the basis of absolute grading system. The absolute grading system as adopted is explained below –
<table>
<tr><td>Grades</td><td>Theory</td><td>Practical</td></tr>
<tr><td>A+</td><td>85 ≤ Marks ≤ 100%</td><td>90 ≤ Marks ≤ 100%</td></tr>
<tr><td>A</td><td>75 ≤ Marks <85%</td><td>82 ≤ Marks <90%</td></tr>
<tr><td>B+</td><td>65 ≤ Marks <75%</td><td>74 ≤ Marks <82%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>55 ≤ Marks <65%</td><td>66 ≤ Marks <74%</td></tr>
<tr><td>C+</td><td>45 ≤ Marks <55%</td><td>58 ≤ Marks <66%</td></tr>
<tr><td>C</td><td>35 ≤ Marks <45%</td><td>50 ≤ Marks <58%</td></tr>
<tr><td>F</td><td>0 ≤ Marks <35%</td><td>0 ≤ Marks <50%</td></tr>
</table>
</td>
<td>9.2 Absolute Grading System – Grades will be awarded for every subject taking into consideration of marks obtained by the students in a particular subject. This will be done on the basis of absolute grading system. The absolute grading system as adopted is explained below -
<table>
<tr><td>Grades</td><td>% Marks Range</td><td>Description of performance</td></tr>
<tr><td>A+</td><td>90 < Marks ≤ 100</td><td>Outstanding</td></tr>
<tr><td>A</td><td>80 < Marks ≤ 90</td><td>Excellent</td></tr>
<tr><td>B+</td><td>70 < Marks ≤ 80</td><td>Very Good</td></tr>
<tr><td>B</td><td>60 < Marks ≤ 70</td><td>Good</td></tr>
<tr><td>C+</td><td>50 < Marks ≤ 60</td><td>Average</td></tr>
<tr><td>C</td><td>40 < Marks ≤ 50</td><td>Satisfactory</td></tr>
<tr><td>D</td><td>30 < Marks ≤ 40</td><td>Marginal</td></tr>
<tr><td>F</td><td>0 < Marks ≤ 30</td><td>Fail</td></tr>
<tr><td>I</td><td></td><td>Incomplete/ Absent</td></tr>
<tr><td>W</td><td></td><td>Withdrawal</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.